हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 1997

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 13 मार्च, 1997

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7) 18
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(7) 22
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	
मुख्य मंत्री, श्री बंसी लाल द्वारा	(7) 26
विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(7) 27
वाक आउट	
विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण	(7) 29
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-	
भिवाड़ी औद्योगिक एस्टेट से कैमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़ने संबंधी वक्तव्य-	(7) 30
उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(7) 31
गैर-सरकारी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)-	
आगरा कैनाल का प्रशासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में लेने तथा हरियाणा राज्य का पानी का हिस्सा बढ़ाने संबंधी	(7) 34
सरकारी संकल्प-	
अन्तर्राज्जीय मामलों से संबंधित	(7) 50

मूल्य :

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 13 मार्च, 1997

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon. Members, question hour.

Laying of Sewerage system in Ellenabad & Rania

***365. Shri Bhagi Ram :** Will the Minister for Public Health be pleased to state the dates on which the work of laying sewrage system at Ellenabad and Rania Towns were started, togetherwith the time by which the said work is likely to be completed ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) ऐलनाबाद शहर में सीवरेज कार्य 16-1-1991 को आरम्भ किया गया था और 30-6-1997 तक आंशिक सीवरेज स्कीम इस शहर में चालू कर दी जायेगी।

(ख) रानियां में सीवरेज स्कीम का कार्य 15-2-1991 को आरम्भ किया गया था और आंशिक सीवरेज स्कीम इस शहर में 30-6-1997 तक चालू कर दी जायेगी।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जो ऐलानाबाद और रानियां की दो अलग अलग स्कीमें हैं, अब तक इन स्कीमों पर कितना-कितना पैसा खर्च हो चुका है और आगे इन पर कितना पैसा और खर्च करेंगे। इसके साथ ही यह भी बताएं कि कब तक ये स्कीमें चालू हो जाएगी।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, ऐलनाबाद में सीवरेज स्कीम के लिए 57 लाख 10 हजार रुपये सैनेटरी बोर्ड से मंजूर हुए थे उसमें से 23 लाख 93 हजार सड़कमें को दिया गया था तथा उसमें से 18 लाख 60 हजार खर्च हो चुका है। इसके अलावा ज्यों ज्यों हमारे पास पैसा आता जाएगा हम वहां पर

[श्री जगन्नाथ]

खर्च करते जाएंगे। इसके अलावा रानियां के सम्बन्ध में 88 लाख रुपये मंजूर हुए थे। अब तक 27 लाख रुपया खर्च हो चुका है। 30-6-97 तक यह आंशिक सीवरेज स्कीम चालू कर दी जाएंगी। भागी राम जी 15-2-91 को आपने वहां पत्थर रखा था लेकिन पिछली सरकार ने भेदभाव करके वहां पर काम नहीं किया। इसको हम कम्पलीट करवाएंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी कहा कि पिछली सरकार ने भेदभाव के कारण इन दोनों स्कीमों पर काम नहीं किया। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इनके वक्त में जब तक यह सरकार चल रही है ये कोई भेदभाव बरते बिना वहां पर काम करवाएंगे। इसके अलावा क्या मंत्री जी के नोटिस में ऐसी कोई शिकायत आई है कि किसी मिनिस्टर के घर तक छोटी पाईपें डाल दी गई हैं। इसके अलावा गणेशी लाल जी का दामाद या इनके भाई के दामाद के घर तक भी इस तरह की पाईप लाईनें डाल दी हैं। इस बारे में मंत्री जी बताएं।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, हमने इनसे या किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है। इस बारे में ये पिछली सरकार से ही पूछें। जहां तक इन्होंने शिकायत की बात करी है तो हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है अगर इनके पास कोई शिकायत हैं तो ये हमें लिखकर भेजें और यह जो लाईन वाली बात कही है ऐसा काम हमने नहीं करवाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि रानियां में 41 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से देने की स्कीम हैं। दूसरे जो इन्होंने भेद भाव वाली बात कही है तो हम किसी के साथ या किसी हल्के के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं और न ही आपको ऐसी बात कहनी चाहिए।

श्री भागीराम : लेकिन भेदभाव तो किया गया है।

श्री जगन्नाथ : यह हमने नहीं बल्कि आपने किया है। (विघ्न)

श्री भागीराम : स्पीकर सर, मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब गोलमोल दे रहे हैं। (विघ्न)

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्री गणेशी लाल) : स्पीकर सर, मैं अपनी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। जिस प्रकार से भागीराम जी ने मेरे बारे में कहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि किसके दामाद ने क्या किया है। मेरे भाई का कोई दामाद वहां नहीं रहता है। मेरा कोई दामाद ऐलनाबाद में नहीं रहता है। मेरे भाई की तो अभी बेटी ही ब्याहने लायक नहीं है। He should correct himself. The second thing is that the Government is so clear in the matters of corruption that if any body is found guilty, he will be punished.

श्री बीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, लायक मंत्री जी ने जो जवाब भागीराम जी के प्रश्न के उत्तर में दिया है और जिसमें इन्होंने यह दर्शाया है कि पिछली सरकार ने किसी आधार पर वहां पर भेदभाव किया ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए।

श्री बीरपाल सिंह : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। यह स्कीम 1991 में शुरू हुई और इस पर चाहे पैसा वर्तमान में लगा हो या पास्ट में लगा हो लेकिन यह हरियाणा की जनता का ही पैसा है। मैं यह जानना

चाहता हूं कि आज इस स्कीम को शुरू हुए 6 साल हो गये हैं तो अब इस स्कीम पर पहले के मुकाबले में कितनी लागत राशि बढ़ गयी है, इस स्कीम से कितने लोगों या कितने इलाके को फायदा होगा और इस स्कीम के पूरी तरह से पूरे होने पर कितनी लागत आएगी ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर सर, रानियां में तो इस स्कीम से 25 फीसदी आबादी को फायदा हो जाएगा और ऐलनाबाद में इससे बीस फीसदी लोगों को फायदा हो जाएगा। जहां तक इस स्कीम की लगात की बात है, 1990 में जितना खर्चा इस स्कीम पर होना था आज तो उससे सवा या डेढ़ गुना बढ़ेगा ही और उसी रेशो से महकमे को इन स्कीम्ज पर खर्च भी करना पड़ेगा।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, उस स्कीम का ऐस्टीमेट्स बना होगा। रिवाइज्ड ऐस्टीमेट बनकर आया होगा। लेकिन इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। यह कोई ******* है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, * * इससे तो सारा संसार चल रहा है। (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरा भाव यह था कि मंत्री जी सही जवाब नहीं दे रहे हैं और हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री रामबिलास शर्मा : जिस सेंस, में आपने वह बात कही है वह रिकार्ड में नहीं आनी चाहिए, मैं तो बस यही कहना चाहता था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी, ने जो बनिये की दुकान वाली बात कही है वह रिकार्ड न की जाए। (विघ्न)

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, यह इनका दोष नहीं है। बनियों ने तो इनकी पार्टी के वोट कम किए हैं इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इनके यह शब्द भी रिकार्ड नहीं किए जाने चाहिएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी, आप बैठिए। मैंने कल भी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना की थी और आज मैं फिर दोहराता हूं कि अगर कोई भी सदस्य चेयर की अनुमति लिए बिना बोलेगा तो उसकी बात रिकार्ड नहीं की जाएगी। आप अब सभी बैठिए।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप बैठिए। मैंने सभी माननीय सदस्यों से चाहे वे ट्रैजरी बैंचिज के हों या विपक्ष के हों, बड़े साफ शब्दों में निवेदन किया है कि यहां पर सभी माननीय सदस्य बराबर हैं इसलिए जो भी चेयर की अनुमति के बगैर बोलेगा उसकी बात रिकार्ड नहीं की जाएगी। अब अगला सवाल होगा।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

I.S.I. Mark Sprinkler Sets

***409. Shri Jagdish Nayar :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether Agriculture Department has made it obligatory on the firms to supply I.S.I. marked sprinkler sets to the farmers ?

कृषि मन्त्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : कृषि विभाग ने फर्मों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे आई०एस०आई० मार्क पाईप वाले फव्वारा सैट ही कृषकों को सप्लाई करें।

श्री जगदीश नैय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सैट् की जो नोजल होती हैं वह भी आई०एस०आई० मार्का बनी हुई हैं तो उसे लेना कंपलसरी क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा वर्ष 1996-97 में जिन फर्मों को एच०डी०पी०-ई० के सैट सप्लाई करने के लिए मंजूर किया गया है क्या उनके पास आई०एस०आई० मार्का पाइप की उपलब्धि थी ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा जो स्प्रिंकलर सैट खरीदे जाते हैं उनकी खरीददारी के लिए विभाग ने आई०एस०आई० मार्का होना तय किया हुआ है। जहां तक इनका यह कहना है कि उसकी नोजल भी आई०एस०आई० मार्का बनी हुई है। इस बारे में बताना चाहूंगा कि आई०एस०आई० मार्का नाम की किसी फर्म ने अब तक हरियाणा सरकार को यह नहीं लिखा कि वे नोजल भी आई०एस०आई० मार्का बनाते हैं। लेकिन जो नोजल हम सप्लाई करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो इसलिए श्रीराम रिसर्च इंस्टीच्यूट फव्वारा सैट का जो स्टैण्डर्ड निर्धारित करता है हमने उनके माध्यम से, उन्होंने जिसको सर्टिफिकेट दिया है, उनके लिए हमने सिफारिश की है कि उनके द्वारा जो फव्वारा सैट सप्लाई किया जा रहा है वह लिया जाए।

श्री नरपेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि निर्धारित मात्रा से कम सामान फव्वारा सैट का किसानों को सप्लाई किया गया हो और अगर कोई ऐसा मामला नोटिस में आया है तो उस फर्म के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि फव्वारा सैटों की खरीददारी जो पिछली सरकारों द्वारा की जाती रही उसके बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है इस बारे में अगर माननीय सदस्य फिगर लेना चाहें तो मैं उन्हें दे दूंगा। पिछले साल कुछ फर्मों को निजी तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए मनमाने रेट के ऊपर उनको मंजूरी दी जाती थी। इन्होंने फर्म के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछा है तो लोहारू के बारे में अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां पर पी०एन०बी० बैंक के अधिकारियों ने कुछ स्प्रिंकलर सैट की खरीददारी में हेराफेरी की। विभाग ने तुरन्त नोटिस लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो फव्वारा सैट किसानों को दिए जाने हैं वे मार्किट रेट पर दिये जाएंगे या उन पर सबसिडी होगी ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो स्प्रिंकलर सैट प्रदेश के किसानों को दिए जाएंगे उनके ऊपर सबसिडी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की तरफ से देनी तय हुई है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : कितनी सबसिडी देनी तय हुई है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के किसानों को फव्वारा सैट पर जो सबसिडी दी जाती है वह 'काडा' और कृषि विभाग द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार पहले किसानों को फव्वारा सैट पर 25 हजार रुपये सबसिडी देना चाहती थी लेकिन केन्द्र की काडा स्कीम के तहत जो सबसिडी आई थी वह सबसिडी 10 हजार रुपये जनरल कैटेगरी के किसानों के लिए व 15 हजार रुपये हरिजन व महिलाओं के लिए आई थी। राज्य सरकार ने फैसला किया कि सबसे ज्यादा किसानों को फायदा पहुंच सके तो हमने उनको 10 हजार और 15 हजार रुपये सबसिडी देने का फैसला किया है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो फव्वारा सैट्स किसानों को दिये जा रहे हैं, वे कौन-कौन सी कम्पनियां हैं जो आई०एस०आई० मार्क हैं। क्या मंत्री जी उन कम्पनियों के नाम बतायेंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र जी ने जो सवाल किया है अगर वे चाहते हैं तो मैं इनको उन कम्पनियों के नाम बता देता हूं : मैसर्ज ओयसिस इरीगेशन, मैसर्ज जिंदल इरीगेशन लिमिटिड, मैसर्ज रीगटा इरीगेशन, मैसर्ज वोल्टस इरीगेशन लिमिटिड, मैसर्ज प्रिमियर इरीगेशन, मैसर्ज महावीर एग्रीकल्चर लिमिटिड, मैसर्ज हरियाणा इरीगेशन लिमिटिड, मैसर्ज नैशनल इरीगेशन, मैसर्ज जिंदल एग्रीकल्चर लिमिटिड, मैसर्ज भारुखा एग्रीकल्चर लिमिटिड, मैसर्ज सूर्या इरीगेशन, मैसर्ज शान्ति इंडस्ट्रीज, मैसर्ज माईस इरीगेशन और मैसर्ज किसान इरीगेशन ये सब 63 एम०एच० की हैं। अगर दूसरी भी जानना चाहते हैं तो वह भी बता देता हूं।

श्री नरपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फव्वारा सैट्स के बारे में जो लोहारू का मामला प्रकाश में आया है उस बारे में क्या कार्यवाही की है, क्योंकि कम्पनी फव्वारा सैटों की सीधी सप्लाई किसान को करती है बैंक तो सिर्फ ऋण ही देता है। उस बैंक के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को पहले भी बताया है कि पिछली सरकार ने इस प्रदेश के अन्दर एक रिवायत सी कायम कर दी थी और उसने अलग अलग रेट से अलग-अलग फर्मों को फव्वारा सैट्स सप्लाई करने के लिए मंजूरी दे दी थी। परन्तु हमने पहली दफा इस प्रदेश के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए और एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम लाने के लिए अलग-अलग फर्मों के रेट मांगे हैं। राज्य सरकार की तरफ से फव्वारा सैट की 30 हजार रुपये, 32 हजार रुपये और 28 हजार रुपये कीमत निर्धारित की है जो कम्पनियां इन कीमतों को मानेंगी हम उनको यह सबसिडी किसानों को सीधे तौर पर फव्वारा सैट्स पहुंचाने के लिए देंगे। जहां तक कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है तो जिन अधिकारियों ने पिछले साल फायदा उठाने की कोशिश की थी उनके खिलाफ मामला दर्ज है अगर वे दोषी पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

Construction of the Building of P.H.C., Tarouri

***379. Shri Jai Singh Rana :** Will the Minister for Health be pleased to state—

[Shri Jai Singh Rana]

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of Primary Health Centre, Tarouri; and

(b) if so, the time by which the construction work of the building as referred to part in (a) above is likely to be started/completed ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) :

(क) जी हां।

(ख) निर्माण कार्य 1997-98 में आरम्भ होने की सम्भावना है तथा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के पूर्ण होने में सामान्यतयः 2½ से 3 वर्ष का समय लग जाता है।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस इमारत को बनाने में कितना खर्चा आयेगा और क्या भवन के निर्माण का कार्य शुरू करने के लिए कुछ धनराशि मंजूर की गई है ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, इस इमारत के लिए 24 लाख 21 हजार रुपये का एस्टिमेट बन चुका है और भवन के निर्माण का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर ऐसी कितनी पी०एच०सी० है जिनमें स्टाफ नहीं है और वह स्टाफ कब तक पूरा हो जायेगा।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर 62 ऐसी पी०एच०सी० है जिनमें स्टाफ नहीं है परन्तु अभी 205 डाक्टरों की भर्ती होने के बाद यह कमी दूर हो जायेगी।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए तो मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि यह काम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं मंत्री जी से यह आश्वासन भी चाहता हूं कि कृपया वे निश्चित समय बताएं कि यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, यह कार्य आने वाले वित्तीय वर्ष में आरम्भ हो जाएगा।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र जिले में जो पी०एच०सीज़० वगैरह प्राईवेट बिल्डिंगज़ में चल रही हैं, उनकी बिल्डिंग बनाने के बारे क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? अगर संभव हो सके तो सारी स्टेट के बारे में ये जानकारी दे दें।

श्री ओम प्रकाश महाजन : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इनका प्रश्न प्रासांगिक नहीं है। इसलिए अगर ये इसके बारे में अलग से पूछ लेंगे तो मैं इसका जवाब दे दूंगा।

Draining Out The Standing Sub-Soil Water

***199. Shri Dev Raj Diwan :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the area of the villages namely; Badwasani-Mahlan-Kakroi-Rohat and Garhi Bandroli, district Sonipat, on the left side of Western Yamuna Canal are badly affected due to sub-soil water which has come to the surface level; if so, the acreage of land affected and the extent of loss of crops suffered by the farmers of the above said villages due to the said sub-soil water; and

(b) the steps so far taken or proposed to be taken to drain out the above stated water from the aforesaid area ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) **:**

(a) About 55 acres area of villages Mahlan, Kakroi, Rohat and Garhi Bandroli, in District Sonipat has been adversely affected due to seepage of water on the left side of Delhi Branch. Area of Badwasani village is not affected.

(b) A scheme to set up a permanent pump house in village Mahlan to drain out the standing water through a cunnette to the nearest drain has been approved by Haryana State Flood Control Board. This will be implemented immediately on availability of funds.

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने यह जवाब अंग्रेजी में दिया है। बहुत अच्छा होता अगर वे हिन्दी में इसका जवाब देते। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि गांव बड़वासनी अफैक्टिड नहीं है, यह बात ठीक नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि यह गांव अफैक्टिड है। कई सालों से किसानों को परेशानियां हो रही हैं और काफी नुक्सान हो रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह काम जल्दी से जल्दी बरसात से पहले पूरा करवाने की कृपा करें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया कि इस समस्या का समाधान परमानैंट पम्प लगाकर किया जाएगा ताकि पानी को नहर में डाला जा सके। इसके साथ-साथ हम यह बात भी सोच रहे हैं कि इसके ऊपर एक शैलो ट्यूब लगाकर उस पानी को निकालें। मेरे ख्याल से इसके बाद इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम इस पर कार्य कर रहे हैं और यह बरसात के मौसम से पहले कर देंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मेरे गोहाना हल्के में जे०एल०एन० नहर के पानी से शेकड़ी,खेड़ी, रीठाल, खारी इत्यादि गांवों में 6-6 एकड़ जमीन में सीपेज आ गई है और परिणामस्वरूप वह जमीन खराब हो गई है। इसलिए इस समस्या का समाधान डिच ड्रेन बनाने से ही हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको कब तक हल करवाएंगे ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि सोनीपत, रोहतक जिलों में नहरों के साथ-साथ कुछ ऐसे गांव हैं जहां नहरों के दोनों तरफ कहीं एक एकड़, कहीं दो एकड़ व कहीं चार एकड़ जमीन

[श्री बंसी लाल]
में पानी आ जाता है। इसके लिए या तो डिच ड्रेन बनाएंगे या शैलो ट्यूबवैल लगाएंगे, मेरा मतलब है कि कोई तरीका निकालेंगे जिससे किसानों की जमीन खराब न हो और किसान अपनी फसल काश्त कर सकें।

Laying of Sewerage system in Rewari City

***208. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) the time by which the work on the on-going sewerage system in Rewari City is likely to be completed;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide sewerage system in Anand Nagar, Shakti Nagar, Azad Nagar, Shiv Colony, Vikas Nagar, Ram Singh pura and Subhash Nagar of Rewari City; and

(c) if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialised ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) 36.20 लाख रुपये के चालू अनुमान के अन्तर्गत सभी बस्तीयों में सीवरेज लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। केवल शक्ति नगर में सीवर लगाने का कार्य बाकी है जहाँ सीवरेज सिस्टम को चलाने के लिए पानी की प्रयाप्त मात्रा अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) केवल शक्ति नगर में सीवरेज डालने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर में दिये गये कारण से अभी कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये कालोनीज़ जिनके मैंने नाम दिए हैं, ये एप्रूवड कालोनीज़ हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको आप पढ़कर देखें, सारी कालोनियां एप्रूवड नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें एप्रूवल की तो कोई बात ही नहीं है। शांति नगर के बारे में मंत्री जी ने कहा है कि इस बारे में विचार है कि इस साल वहां पर सीवरेज डाल देंगे। इसके लिए केवल 18 लाख रुपये का एस्टिमेट बनाया गया है, जिसमें से केवल दो लाख रुपया दिया है।

क्या मंत्री महोदय शक्ति नगर कालोनी के लिए पूरा पैसा दे कर वहां पर सीवरेज सिस्टम का प्रावधान जल्दी कराएंगे ?

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहब कोशिश करके इसको जल्दी चालू किया जाएगा। बाकी जो 7 कालोनीज हैं उनका विवरण इस प्रकार है। आनन्द नगर, आजाद नगर और सुभाष नगर इनमें सीवरेज सिस्टम चालू करने का मामला अंडर कंसिडेशन है। शिव नगर, विकास नगर और राम सिंहपुरा में सीवरेज सिस्टम लागू करने के बारे में अभी कोई योजना नहीं है क्योंकि यहां पर पब्लिक पोस्ट है लोग वहां से पानी लाते हैं। वहां पर इतना पानी उपलब्ध नहीं है जिसके बेस पर सीवरेज सिस्टम चालू किया जाए। हमारे पास ज्यों ज्यों पैसा उपलब्ध होता जाएगा हम वहां पर सीवरेज सिस्टम का प्रावधान करते जाएंगे। रिवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड के अन्दर जितना एरिया पड़ता है वहां पर 70 फीसदी आबादी के लिए सीवरेज सिस्टम चालू है। उससे बाहर जो तीन चार कालोनीज हैं, माडल टाउन, हाउसिंग बोर्ड और अनाज मंडी, सती कालोनी इनके अन्दर सीवरेज सिस्टम चालू कर दिया गया है। जो कालोनी रह गई हैं उनके अन्दर भी धीरे-धीरे इसका प्रावधान कर देंगे।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी छोटे बड़े कस्बे हैं क्या उनमें सीवरेज सिस्टम चालू करने का सरकार का विचार है। क्या हरेक कस्बे में सीवरेज सिस्टम है अगर नहीं है तो उसका प्रावधान कर दिया जाएगा।

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में छोटे बड़े 81 कस्बे और शहर है उनमें से 40 शहरों के अन्दर सीवरेज सिस्टम का काम शुरू है। किसी में 70 परसैंट और किसी में 85 परसैंट तक सीवरेज सिस्टम का काम हो चुका है और उन 40 शहरों में सीवरेज सिस्टम की जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कोशिश की जा रही है। जिस किसी शहर या कस्बे में सीवरेज सिस्टम का प्रावधान करना होता है उसमें 170 लीटर पानी प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए तब जा कर सीवरेज सिस्टम कामयाब हो सकता है। चौधरी भागी राम जी ने राणिया में सीवरेज सिस्टम करवा लिया लेकिन उस कस्बे में 41 लीटर पानी प्रति दिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। जहां पर 170 लीटर प्रति दिन प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध नहीं हैं वहां पर हम पानी की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करेंगे जब बड़े-बड़े कस्बों में पानी की मात्रा पूरी हो जाएगी उसके बाद उनमें सीवरेज सिस्टम का प्रावधान करने पर विचार किया जाएगा।

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या साम्पला और झज्जर में सीवरेज सिस्टम का प्रावधान किया हुआ है।

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहब, मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि झज्जर में तो सीवरेज सिस्टम का प्रावधान है और साम्पला के बारे में मैं रिकार्ड देख कर बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी मैं सदन की जानकारी के लिए आपसे जानना चाहूंगा कि कैप्टन साहब ने जिन कालोनीज का जिक्र किया वे मेरे गांव के पड़ौस में हैं वे कालोनीज पिछले 6 महीने में बनी हैं या काफी समय पहले की बनी हुई हैं।

श्री जगन्नाथ : अध्यक्ष महोदय, उन कालोनीज में सीवरेज सिस्टम के प्रावधान का काम 1994 में मंजूर हुआ था लेकिन काम अब शुरू किया गया है। अब वहां पर सीवरेज का काम जल्दी ही पूरा करा देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं एक और सप्लीमैंटरी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वैश्चन श्री सत नारायण लाठर।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सवालकर्ता को यह अधिकार जरूर होना चाहिए कि वह दो सप्लीमैंटरी पूछ सके। पार्लियामैंट में सवालकर्ता को दो सप्लीमैंटरी पूछने का अधिकार है, इसलिए आप कैप्टन साहब को दूसरी सप्लीमैंटरी पूछने दें।

10.00 बजे **श्री अध्यक्ष :** माननीय चौधरी भजन लाल जी ने जो सुझाव दिया है, मैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मैं इनको यह भी कहना चाहूंगा कि ये जरा अपने शासन काल का भी समय देख लें जब हम वहां पर बैठते थे। हमें तो एक क्वैश्चन भी पूछने नहीं देते थे। आपने कभी दो पूछने दिये हों तो बता दें।

श्री भजन लाल : हमारे वक्त में ऐसा बिल्कुल नहीं था। रिकार्ड आप देख लें हमारे वक्त में जिस मैम्बर का सवाल होता था उसने तीन तीन बार सवाल पूछे हैं। अगर आप भी ऐसी ही बात करेंगे तो फिर हमारी सुरक्षा कैसे रह जायेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके सुझाव का अनुसरण करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप जरा अपने समय की तरफ जरूर देख लें।

Declaration of Julana as Sub-Division

***214. Shri Sat Narain Lather :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Julana as Sub-Division, and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरज पाल सिंह) :

(क) नहीं, जी।

(ख) उपरोक्त "क" के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतनारायण लाठर : स्पीकर साहब, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जींद जिले में जींद के अलावा नरवाना और सफीदों दो ही सब डिवीजन हैं मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जुलाना को सब डिवीजन बनाये जाने पर विचार करेंगे ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने 1995 में जुलाना को सब डिवीजन बनाये जाने पर विचार किया था लेकिन उस वक्त भी यह केस रिजैक्ट हो गया था। अब भी फिलहाल वहां पर सब डिवीजन चालू नहीं हो सकता।

श्री विजेन्द्र सिंह कादियान : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसानों को पास बुकें कब तक जारी कर दी जायेंगी ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल इस सवाल से मेल नहीं खाता लेकिन फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अगले साल हमने इस काम के लिए 2 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं और मुद्रण एवं लेखन विभाग द्वारा पास बुक छापी जायेगी तथा दो या तीन महीने बाद हर जिले की एक तहसील को पास बुकें जारी कर दी जायेंगी।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि असंध में सब डिवीजन तो हैं लेकिन वहां पर सब ज्यूडिशयरी नहीं है। क्या ये अपनी तरफ से हाईकोर्ट को सिफारिश करके भेजेंगे कि वहां पर सब ज्यूडिशयरी खोली जा सके। यदि सरकार का ऐसा विचार है तो मैं जानना चाहूंगा कि कब तक वहां पर सब ज्यूडिशयरी खोल दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : यह इरैलवेंट क्वैश्चयन है।

श्री सतनारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से फिर अनुरोध करता हूं कि जुलाना में काफी समय से सब तहसील है। पिछली सरकार ने भी वहां पर सब डिवीजन नहीं बनाया। अब मैं अपनी सरकार से निवेदन करता हूं कि वहां पर अब तो कम से कम तहसील बनाने का आश्वासन तो दे दें।

श्री सूरजपाल सिंह : मैं आदरणीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक कमेटी गठित की हुई है जो सारे हरियाणा प्रदेश की स्थिति को देख रही है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है उस पर इस कमेटी में विचार किया जायेगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सब डिवीजन बनाये जाने के लिए सरकार ने क्या नीति निर्धारित की हुई है ?

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये अलग से सवाल पूछते तो पूरा जवाब दे देते लेकिन फिर भी मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मनीराम गोदारा जी की अध्यक्षता में इसी संबंध में एक कमेटी गठित की हुई है। यह कमेटी ही क्राईटेरिया निर्धारित करेगी कि किस तरह से सब डिवीजन, तहसील या सब तहसील खोली जाए। यह कमेटी जितने भी सब डिवीजन खुले हैं उन पर विचार करेगी। इस कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें यह सवाल आया कि सब डिवीजन, तहसील व थाना सब एक ही खण्ड के अन्दर आ जाएं ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो और उनका सारा काम एक ही जगह पर हो जाए। इस कमेटी की तीन मीटिंगे हो चुकी है और एक अगली मीटिंग और होने वाली है। इस बारे में माननीय सदस्य और जो भी जानकारी चाहेंगे मैं उनको बता दूंगा।

Repair of roads of Beri Constituency

***369. Dr. Virender Pal Ahlawat :** Will the Minister for PWD (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads of Beri Constituency which were damaged due to floods during the year 1995 :—

(i) Barhana to Gochhi-3 kms.;
(ii) Jahajgarh to Dubaldhan via Palra;
(iii) Beri to Baghpur upto Mangawas; and
(iv) Beri Kalanaur to Dharana upto Chimni ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) : हाँ, श्रीमान् जी।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा कि मेरे ओरिजनल क्वेश्चन में नम्बर एक पर जो सड़क लिखी है बरहाना से छोछी जब कि रिप्लाई में छोछी की जगह गोछी लिखा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में करैक्शन कर लें। वैसे बरहाना से गोछी रोड भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन चारों रोडज़ की रिपेयर का वर्क कब तक हो जाएगा ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जैसे ही फण्डज़ अवेलेबल होंगें यह वर्क कम्पलीट करवा दिया जाएगा।

श्रीमती कान्ता : अध्यक्ष महोदय, झज्जर शहर से एक रोड बाया गैस एजैंसी दिल्ली जाता है जिसकी हालत बहुत ही खस्ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि उस रोड की रिपेयर कब तक करवा दी जाएगी ?

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें यह बताना चाहूंगा कि यह बात मेरे नॉलेज में इस वक्त नहीं है कि क्या यह रोड पी०डब्ल्यू०डी० के अण्डर आता है या यह रोड म्यूनिसिपल कमेटी के जूरिस्डिक्शन में आता है। इस बारे में पता करवा लेंगे और फण्डज़ अवेलेबल होने पर इसकी रिपेयर करवा दी जाएगी।

डॉ० वीरेन्द्रपाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरी सप्लीमैंटरी के जवाब में फण्डज़ की अवेलेबिलिटी की बात कही है। मैं इनसे यह जानकारी चाहूंगा कि आखिर यह फण्डज़ कब तक अवेलेबल हो जाएंगे। कोई टाईम लिमिट भी तो इनको बतानी चाहिए। (विघ्न) आखिर फण्डज़ अवेलेबल करवाना भी तो सरकार का ही काम है। यह कृपया बताएं कि फण्डज़ कब तक अवेलेबल हो जाएंगे ? कम से कम हमें यह पता तो लगना चाहिए कि फण्डज़ कब तक सरकार अवेलेबल करवा देगी ?

श्री धर्मवीर यादव : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि फण्डज़ शीघ्र ही आ जाएंगे और इस रिपेयर वर्क को करवा दिया जाएगा।

Construction of By-Pass, Bahadurgarh

***249. Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a by-pass at Bahadurgarh City; if so, the time by which the construction work of the by-pass is likely to be started/completed ?

Public Works Minister (Sh. Dharamvir Yadav) : No, sir. Question does not arise.

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, बहादुरगढ़ शहर में काफी भीड़-भाड़ रहती है जिसकी वजह से कई बार कई-कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या बहादुरगढ़ बाई पास बनाने के लिए कोई सर्वे किया गया था अगर कोई सर्वे किया गया था क्या वहां पर कोई बाई पास बनवाने जा रहे हैं या उसके लिए भी फण्डज़ की अवेलेबिलिटी की बात होगी।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि दिसम्बर, 1996 में सर्वे किया गया है उस सर्वे के मुताबिक यह बताया गया है कि ट्रैफिक फ्रिक्वैंसी ठीक है और ट्रैफिक ठीक चल रहा है। बहादुरगढ़ में साथ ही फीरलेविंग भी है और डाईवरटर भी है इसलिए बहादुरगढ़ में बाईपास बनाने की फिलहाल कोई स्कीम नहीं है।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कहीं विपक्ष का हल्का होने के नाते यह अन्याय तो नहीं किया जा रहा है।

श्री धर्मवीर यादव : सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने वहां सर्वे किया था और उसी के तथ्यों के हिसाब से वहां पर बाई पास नहीं बनाया जा सकता। वहां पर जो ट्रैफिक फ्रिक्वैंसी हैं वह बहुत कम है। हां आपके शहर में दुकानदार रेहड़ियां और फड़िया लगा लेते हैं जिस की वजह से सड़क काफी तंग हो जाती है उसका भी हम इलाज करने जा रहे हैं।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, नारनौल डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है क्या वहां पर भी कोई बाई पास बनाने का विचार है।

श्री धर्मवीर यादव : हमारे पास न तो इस बारे में अभी कोई स्कीम है और न ही कोई डिमान्ड आई है।

श्रीमती कान्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि झज्जर शहर में बाई पास कब तक बनकर तैयार हो जाएगा तथा उस पर कितनी लागत आएगी।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय, झज्जर बाई पास नैशनल कैपिटल रीजन के तहत बनना है उसका जब फैसला हो जाएगा तो हम इस बारे में सोचेंगे।

श्री वीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि झज्जर बाई पास नैशनल राजधानी क्षेत्र के साथ जुड़ता है। ऐसा कहकर ये इस बात को टाल गए। मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने के कारण हरियाणा को कितना पैसा मिलता है और उसमें से कितना पैसा आप इसके लिए अलाट करते हैं।

श्री धर्मवीर यादव : अध्यक्ष महोदय इसके लिए ये अलग से प्रश्न पूछें।

Opening of I.T.I. in Dadri & Mundhal Constituencies

***221. Shri Sat Pal Sangwan :** Will the Minister of State for Industrial Training & Vocational Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an I.T.I. in Dadri and Mundhal constituencies ?

औद्योगिक प्रशिक्षण राज्य मंत्री (श्री रमेश चंद्र कौशिक) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दादरी के बारे में जानना चाहता हूं जो कि अध्यक्ष महोदय, आपका भी इलाका है। पिछली सरकार के वक्त में भिवानी को तो हरियाणा में माना ही नहीं जाता था। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि दादरी शहर में 10 जमा 2 के अलावा एक भी गर्वनमैंट इन्स्टीच्यूट नहीं है, क्या मंत्री जी इस बारे में विचार करेंगे कि वहां पर आई०टी०आई० खोला जाए।

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में सर्वे करवा कर देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, दादरी, मुण्ढाल और बाढड़ा तीनों कांस्टीच्यूएंशीज़ का हैड क्वार्टर है। पिछले दिनों इसको इग्नौर किया जाता रहा है। क्या वहां पर कोई आई०टी०आई० बनवाने की कृपा करेंगे।

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : अध्यक्ष महोदय, वहां पर पहले से ही लड़कियों के लिए आई०टी०आई० है। हां लड़कों के लिए आई०टी०आई० खोलने के बारे में देख लेंगे।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे आप दादरी का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमारी कांस्टीच्यूएंसी का भी ध्यान रखा करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भागीराम जी, आप प्रश्न पूछें। अगर आप प्रश्न नहीं पूछते तो फिर आप बीच में न बोलें। (विघ्न)

श्री रामफल कुंडू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सफीदों हल्के के पीलोखेड़ी गांव में महकमे ने आई०टी०आई० खोलने के लिए एक सर्वे किया था और बाद में पंचायत से भी एक रैजोल्यूशन इस बारे में लिया गया था तो क्या अब सरकार का वहां पर आई०टी०आई० खोलने का प्रस्ताव है अगर है तो वहां पर कब तक खोल दिया जाएगा ?

श्री रमेश चन्द्र कौशिक : स्पीकर सर, अभी तक तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Upgradation of Government Girls Middle School, Chullana.

***261. Shri Balwant Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Girls Middle School, Chullana to Govt. Girls High School in District Rohtak; and

(b) if so, the time by which the said school is likely to be upgraded ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भजनलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने सवाल आए हैं उनमें से एक भी सवाल के बारे में इन्होंने हां नहीं की है और ये कहते थे कि मैं कामों की झड़ी लगा दूंगा। (विघ्न) * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए। अब बलवन्त सिंह आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर सर, हमारे शिक्षा मंत्री जी इस सदन में बहुत ही विद्वान आदमी हैं। वैसे भी इनकी नजरें हमारी तरफ ठीक रहती हैं लेकिन जब मैंने चुलाना गांव की राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ाने के बारे में इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इनसे अनुरोध करूंगा कि ये हमारे ऊपर अपनी नजरें थोड़ी ठंडी ही रखें और अगर ये हमारे प्रश्न के जवाब हां में ही दें तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी।

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय चौधरी भजनलाल जी ने कहा कि इस सरकार ने किसी भी प्रश्न का जवाब हां में नहीं दिया है। सर, आप जानते ही हैं कि हर गवर्नमैंट अपने मुख्यमंत्री के रूतबे के हिसाब से चलती है। यह बात ठीक है कि हमने बहुत से सवालों का जवाब हां में भी दिया है परन्तु पिछली जो रिवायत है उसको चौधरी बंसीलाल जी की सरकार ने बिल्कुल पलटा है। हमने कल कहा था कि अगर वे चलते चलते भी कोई बात कह देंगे तो हम उसको पूरा करेंगे, उनके एक एक शब्द का हम अक्षरस पालन करना चाहते हैं। स्पीकर सर, बलवन्त सिंह ने इस सदन में आज यह तीसरा सवाल पूछा है। इससे पहले इन्होंने खुद अपने गांव मायना के बारे में सवाल किया था और उसके बाद इन्होंने सांपला के बारे में सवाल किया तथा उसके बाद इन्होंने समधाना के स्कूल के बारे में सवाल किया। मैं इसी सत्र के दौरान दतौड़, सांपला, गधोड़ एवं अटला गांव में होकर आया हूं। हमारा विभाग हर बात की पूरी तरह लैटेस्ट स्थिति देखता है। माननीय सदस्य ने जिस चुलाना विद्यालय का दर्जा बढ़ाने के बारे में पूछा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस समय वहां कन्या मिडिल स्कूल चल रहा है। उसमें दस कमरे और पांच एकड़ जमीन भी उनके पास है। वहां इस समय छात्रों की संख्या भी 273 है। हमने इसका सर्वेक्षण करवाया है और फंडज की उपलब्धता के अनुसार हम इसके बारे में विचार करेंगे। मैं यह बात सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो विद्यालय है, वह लगभग जो हमारे दर्जा बढ़ाने के नोर्म्ज हैं, उनके नजदीक है। जैसे ही हमें फंडज उपलब्ध होंगे हम इसके बारे में विचार करेंगे।

Providing of Proprietory Rights to the Persons residing in Colonies

***279. Shri Anil Vij :** Will the Minister for Local government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give proprietory rights at concessional rates to persons residing in unauthorised clonies within the limits of Municipal Council, Ambala Sadar ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : यह प्रस्ताव अभी नगरपरिषद्, अम्बाला सदर के स्तर पर विचाराधीन है। ज्यों ही इस विषय में प्रस्ताव, परिषद्/उपायुक्त, अम्बाला से प्राप्त होगा, सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उन साधनहीन लोगों के बारे में है जो अम्बाला छावनी में आज से सौ डेढ़ सौ वर्ष पहले आये थे। जब 1947 में अम्बाला छावनी की स्थापना हुई थी

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री अनिल विज]

तब से यह नगर बसाया हुआ है। तभी गरीब लोगों को लाकर वहां बसाया गया। कुछ लोग पार्टीशन के बाद यहां आ गये और तब से अपने कच्चे-पक्के मकान बनाकर अनाधिकृत ढंग से रह रहे हैं। यह मामला सरकार के सामने पहले भी आ चुका है और इस सदन में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। 1991 में आदरणीय बहिन जी और हम जब इस तरफ बैठा करते थे उस वक्त भी यह प्रश्न इस सदन में उठा था तो उस वक्त के लोकल बॉडीज मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि हम इस बारे में शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे। मैं बहिन जी से जानना चाहूंगा कि इस मामले के निपटारे के लिए क्या वे कोई उच्चाधिकार समिति बनाएंगी और यदि बनाएंगी तो कितने समय में इस समस्या का निपटारा करेंगी ?

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूं कि उस समय के मुख्यमंत्री जी ने जब वहां दौरा किया था तो उस वक्त यह प्रश्न उनके सामने आया था। दिनांक 29-2-96 को इस अनाधिकृत कालोनी के लिए एक पत्र उपायुक्त महोदय को लिखा गया और पत्र की एक कॉपी विभाग को भेजी गई। जब हमने कुछ ऑब्जैक्शन लगाकर भेजे कॉलोनी क्योंकि रैगुलराइज करने का एक नियम है। उसमें वह प्रावधान पूरा नहीं होता था। किसी भी अनअथोराइज कालोनी को जब रैगुलराइज किया जाता है तो पहले चुने हुए कमेटी के पार्षदों की जो सब कमेटी होती है वह उस बारे में प्रस्ताव पास करती है। उसके बाद जो पार्षद हैं उनके द्वारा वह पास होता है। फिर उपायुक्त के पास जाता है और तब उपायुक्त अपनी स्वीकृति करके विभाग को भेजता है तो हम उसे मान्यता प्रदान कर देते हैं। यह मैं मानती हूं कि रैगुलराइज करना चाहिए लेकिन हमने जो ऑब्जैक्शन लगाकर भेजे हैं अगर माननीय सदस्य स्वयं रूचि लेकर इसी उसी तरह कमेटी के पार्षदों से पास करा कर और सब कमेटी से पास करवा के भेजेंगे तो हम जरूर कर देंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि अगर नगर परिषद प्रस्ताव पास करें तो हम अवश्य करेंगे। वैसे जहां तक मुझे याद है ऐसा प्रस्ताव पारित हो चुका है लेकिन अगर नहीं हुआ है तो पहली नगर पालिका की बैठक में इस विषय में प्रस्ताव पारित करेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया को यह भी बताना चाहूंगा कि वे साधनहीन लोग हैं। वे फाइलों को वहां तक ले जाने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बारे एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएं जो कि इस केस को देखे और निपटारा करे।

डॉ० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर स्वयं रूचि लेंगे तो बिल्डिंग प्लानिंग के जो भी रूल्ज रैगुलेशन हैं उन्हें पास करवा सकते हैं। आखिर कुछ नियम बने हुए है और नगर सीमा के अंदर कालोनी वालों को डिवैल्पमैंट चार्जिज देने होते हैं, जमीन की कीमत आदि देनी होती है। फिर भी मैं जब प्रीविलिज कमेटी की मीटिंग में जाऊंगी और अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर तीन आफीसर्ज की कमेटी बना दूंगी। वे जाकर देख आएंगे और संभव होगा कर देंगे।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि यह जो जमीन है जिस पर ये लोग बैठे हैं क्या यह सरकार की है ? अगर सरकार की है तो उसके बारे में म्यूनिसिपल कमेटी से प्रस्ताव पास करवाने की क्या जरूरत है अगर सरकार वह जमीन उन लोगों को देना चाहती है तो किस रेट पर देगी ?

डॉ० कमला वर्मा : यह जमीन डिफैंस की थी और दिनांक 5-2-1977 को म्यूनिसिपल कमेटी को दे दी गई इसलिए अब यह जमीन म्यूनिसिपल कमेटी की है।

Mid-Day Meal Scheme

***284. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Mid-Day Meal Scheme introduced in the Schools has been discontinued; and

(b) if so, the reasons thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, मंत्री जी अभी रिप्लाई में पहले 'नहीं जी' कह गए और प्रश्न को खत्म कर दिया। मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं कि क्या यह स्कीम प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है या केन्द्र सरकार के द्वारा? यदि यह केन्द्र सरकार की स्कीम है तो कितना पैसा केन्द्र सरकार दे रही है व कितना हरियाणा सरकार अनुदान के रूप में देती है और अगर दोनों का हिस्सा है तो किस अनुपात में है ?

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, यह मिड डे मील योजना 15 अगस्त, 1995 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव द्वारा बहादुरगढ़ के बालीर गांव से प्रारम्भ की गई थी। हरियाणा में कुल ब्लाक 110 हैं उनमें से पहले यह केवल 44 ब्लाकों में शुरू की गई थी और इस साल से यह योजना 88 ब्लाकों में शुरू की गई है। यह योजना प्राईमरी में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे-मील देने के लिए शुरू की गई थी। इसमें भारत सरकार हरियाणा सरकार को प्राईमरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से कुछ खाद्यान्न जैसे चावल, गेहूं प्रति बच्चा प्रतिदिन 100 ग्राम के हिसाब से एफ०सी०आई० के जो गोदाम हैं उनके द्वारा देती हैं। जब पहली बार यह योजना शुरू हुई तो इसकी कुछ अनियमितताओं की शिकायत आई कि इसमें जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसमें तीन घंटे का समय लग जाता है और विद्यालय की पढ़ाई नहीं हो पाती। जब चौधरी भजनलाल जी ने यह योजना शुरू की थी उस समय भी हमने इस बारे कहा था कि इसमें समय ज्यादा जाया होता है और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती।

श्री अध्यक्ष : उस समय आपने दलिया के बारे में कुछ बताया था।

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, हम हर चीज का विश्लेषण करते हैं उस समय मैंने कहा था कि मास्टर रांद दलिया, रामेहर बजाब कचोला और बहन जी बनावै स्वैटर। हमने इस चीज का विश्लेषण किया और इसमें परिवर्तन किया। केन्द्र सरकार से जो गेहूं व चावल आता है वह हम बच्चों को महीने में इकट्ठा दे देते हैं। इससे न तो अध्यापकों का समय बर्बाद होता है, न बच्चों की पढ़ाई खराब होती है, न ही बच्चे कचोला बजाते हैं। स्कूलों का वातावरण और संस्कृति सक्षम रहती है और पढ़ाई ठीक चलती है।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं। इन्होंने कहा कि महीने में बच्चों को इकट्ठा ही चावल और गेहूं वितरित कर दिया जाता है। उसके वितरण के बारे में क्या मंत्री जी को कोई अनियमितता की शिकायत आई है अगर आई है तो कितने स्कूलों से ऐसी शिकायतें आई हैं कृपया प्रकाश डालें ?

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब स्कूलों में ही यह दलिया वगैरा बनाकर दिया जाता था तब तो शिकायत आती थी परन्तु हमने इस पर पुनर्विचार किया, क्योंकि कुछ तो खरीद-दारी में और कुछ बनाने के लिए इसके लिए किसी महिला को रखा जाता था तो गांवों से शिकायतें आती थी कि जो महिला बनाने के लिए रखी है वह अपनी मन मर्जी से रख ली है। हमारे कहने से नहीं रखी। कुल मिलाकर विवाद रहा। आप जानते हैं कि हरियाणा में प्राईमरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 22 लाख 44 हजार है। धीरपाल जी ने बताया कि बच्चों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था होती है। हमने खाद्य सामग्री बच्चों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था की है वह भी एफ०सी०आई० के गोदामों से कंफैड में ले लेते हैं और उनके द्वारा बच्चों में बांट दी जाती है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी खराब नहीं होती। हम विद्यालयों से बच्चों की लिस्ट ले लेते हैं और उसके हिसाब से वितरण करते हैं।

Number of Vacant Posts of J.B.T. Masters

***289. Shri Banta Ram Balmiki :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of posts of J.B.T. teachers and Masters lying vacant in the State at present;

(b) the total number of posts out of those as referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes; and

(c) the time by which the posts as referred to in part (b) above are likely to be filled up ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) :

(क) राज्य में इस समय 863 जे०बी०टी० तथा 1012 मास्टरों के पद रिक्त हैं।

(ख) अनुसूचित जाति वर्ग के 514 जे०बी०टी० तथा 651 मास्टरों के पद रिक्त हैं।

(ग) अधीनस्थ सेवायें चयन मण्डल हरियाणा को उक्त पदों की भर्ती के लिए मांग पत्र दिया जा चुका है और जैसे ही उनकी भर्ती के लिए सिफारिशें प्राप्त होंगी उक्त रिक्तियां भर दी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर।

Construction of Roads of Meham Constituency

***294. Shri Balbir Singh :** Will the Minister for P.W. D. (B&R) be pleased to state the time by which the construction work of the following roads of Meham constituency is likely to be completed :—

(a) Bhaini Surjan to Bhaini Chanderpal;

(b) Nidana to Bahu Akbarpur;

(c) Behlamba to Kailanga;

(d) Kharkhara to Mokhra; and

(e) Mokhra to Bahu Akbarpur ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री धर्मवीर यादव) : इन सड़कों की वर्ष 1998 के अन्त तक धन की उपलब्धता पर पूरा किए जाने की संभावना है।

Flood in Bhiwani City

***306. Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Bhiwani city was flooded during the period from September, 1995 to April 1996 due to the negligence of the officials of Irrigation Department ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Heavy and excessive rains in September 1995 coupled with failure of electricity caused severe flood situation in Bhiwani town. Sewerage & Storm Water pumping stations became disfunctional due to heavy submergence in water upto about 6 feet. Initially, there was delay and negligence on the part of the Irrigation and Public Health Department functionaries in starting the dewatering operations. However, the tempo of dewatering picked up subsequently after lapse of some time.

The Government has now redesigned the existing pumping system to avoid recurrence of such situation in future.

Repair of Roads

***333. Shri Siri Krishan Hooda :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state---

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of district Rohtak :-

  (i) Bhaloth to Mungan (via Rurki);

  (ii) Rurki to Polangi;

  (iii) Bhaloth to Kiloi; and

  (iv) Jind to Jasia (via Sunderpur Titoli, Khidwali and Sanghi); and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired ?

Public Works Minister (Shri Dharamvir Yadav) :

(a) Yes, Sir.

(b) Roads have been repaired by essential patch work. Balance work of repairs will be completed by 30-6-1977, subject to availability of funds.

Construction of Madodhi Minor

***383. Smt. Kartar Devi :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct new Madodhi Minor in Kalanaur constituency; and

(b) if so, the time by which the said minor is likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Acute shortage of drinking water in Narnaul City

***341. Shri Kailash Chandra Sharma :** Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in Narnaul City particularly in summer season; and

(b) if so, the steps, if any taken or proposed to be taken to meet out the said shortage of drinking water ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) शहर की तकरीबन 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पेय जल दिया जा रहा है, लेकिन गर्मियों में जब प्रति दिन 16 घंटे बिजली नहीं रहती तो पेय जल सप्लाई में कुछ कमी हो जाती है।

(ख) पेय जल बढ़ौतरी के लिए 2.50 करोड़ रुपये का एक अनुमान स्वीकृत किया गया है और धन राशि की प्राप्ति के अनुसार इस कार्य को शुरू किया जायेगा।

Strike of Municipal Employees

***308. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) whether the employees of Municipal Committees are on strike from December, 1996; if so, the number thereof;

(b) the number of employees out of those as referred to in part (a) above whose services have been terminated so far; and

(c) whether any new recruitment in place of terminated employees have been made; if so, the number thereof; togetherwith the mode of their recruitment ?

स्थानीय शासन मंत्री (डॉ०कमला वर्मा) :

(क) नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

(ख) सभी नगरपालिका कर्मचारियों ने अपनी डियूटी ग्रहण कर ली है।

(ग) हड़ताल के दौरान नगरपालिका सेवाओं को सामान्य रूप से व्यवस्थित करने के लिए 3704 व्यक्तियों को भर्ती किया गया था, जिनमें से 332 रोज़गार केन्द्रों के माध्यम से, 938 को विज्ञापनों के माध्यम से तथा 2434 को सीधे तौर पर नियुक्त किया गया था।

Outstanding amount of Sugarcane

***224. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether payment to the farmers who supplied sugarcane is outstanding against the Haryana State Cooperative Sugar Mills for the year 1996-97; if so, the sugar mill-wise details thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : जी हाँ। गन्ने की 25-2-1997 तक की बकाया राशि का चीनी-मिलवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

क्र०सं०	मिल का नाम	गन्ने की बकाया राशि
1.	पानीपत	5.81
2.	रोहतक	7.60
3.	करनाल	7.14
4.	सोनीपत	10.74
5.	शाहबाद	12.65
6.	जींद	7.04
7.	पलवल	2.89
8.	महम	10.34
9.	कैथल	11.29
10.	भूना	8.39
	जोड़	83.89

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, आज से दो दिन पहले इस हाउस में चौधरी भजन लाल ने बड़े ही नाटकीय ढंग से भिवानी को याद किया था क्योंकि उनके राज में तो यह समझा जाता था कि भिवानी हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने प्रोहिबिशन पर डिस्कशन के वक्त यह कहा था कि भिवानी को 8 हिस्सों में बांटा गया और वहां 8 मौतें आपस में टकराव से हो गई। (विघ्न) 12 मौते टकराव से हो गई। इस पर हमने उनके नाम मांगे तो इन्होंने कहा था कि मैं उनके नाम कल दे दूंगा लेकिन कल दिल्ली में इनको केसरी जी ने बुला लिया। आज तो ये विधान सभा में हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि वे 8-10 आदमी जो मारे गए हैं, उनके नाम बताएं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे दिल्ली जाना पड़ गया था तथा मैंने कहा भी था कि हम नाम आपको कल बता देंगे। जाते-जाते बहिन करतार देवी जी को मैं ये नाम दे गया था, जो उन्होंने आपको बता दिये थे। इस पर शायद आपने कहा था कि भजन लाल जी आएंगे और वे ही बताएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि भिवानी से हमें इत्तलाह मिली थी कि आपस में झगड़े से वहां १०-१२ लोग मारे गए। (विघ्न) दो-तीन गांवों के नाम मेरे पास हैं। (विघ्न) यह रिकार्ड की बात है। (शोर)

श्री सतपाल सांगवान : आप * * * बोलने में ऐक्सपर्ट हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह झूठ शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह तरीका नहीं है। यह असैंबली है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपने कैटेगरीकली कहा था कि 10-12 नाम हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कुछ गांवों के नामों के बारे में कहा था। (शोर) लेकिन आप ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखना चाहते हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप दे नाम दे दें। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दो गांवों के नाम मेरे पास हैं। ये हैं-धसौला और कारी। इनमें एक-एक आदमी मरा है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : धसौला उनकी कांस्टीच्यूएंसी का गांव है। (शोर)

श्री भजन लाल : आप सुनने की कृपा तो करें। मैं पूरी डिटेल सोमवार को बता दूंगा कि कौन-कौन शराब बेचता है। (शोर)

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, सोमवार भी आएगा। इनको बताने दो। (शोर) एक सोमवार तो चला ही गया। (शोर)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने धसौला के बारे में कहा है। यह धसौला गांव मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी में है। (विघ्न) लेकिन वहां तो आज तक एक कीड़ी भी नहीं मरी है। (शोर) मैं इस हाउस में चैलेंज करता हूं कि इस डयूरेशन में किसी भी झगड़े में वहां कोई आदमी मरा हो। वहां पर कोई आदमी नहीं मरा है। (विघ्न) चौधरी साहब, अब तो *** बोलना बंद कर दीजिए। अब हरियाणा की जनता को भी इस बात का पता लग गया है। (विघ्न)

श्री भजन लाल : स्पीकर सर, यह हाउस है। इसकी कोई मर्यादा होती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : झूठ शब्द को एक्सपंज कर दिया जाए।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, कोई भी माननीय सदस्य सदन में कोई बात कहता है, तो बड़े मान-सम्मान से मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देते हैं। चौधरी भजन लाल जी से बरिष्ठ तो कौन हो सकता है, ये इस प्रदेश के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने अपनी स्पीच में फरमाया था कि शराब बंद नहीं हुई और दो महीने का समय भी शराब बंद करने से पहले दे दिया गया और यह भी कहा कि शराब की बिक्री 5 गुना बढ़ गई। उन्होंने यह भी कहा कि भिवानी जिले में शराब बेचने के लिए 8-10 माफिया बन गये और उन्होंने आपस में एरिया बांट लिया और उसके कारण 10 लोगों की मौत हो गई ।

श्री बंसी लाल : भजन लाल जी आपने कहा था कि उनके नाम कल दे दूंगा कल भी गया परसों भी गया आज तो दे दो।

श्री भजन लाल : चौधरी साहब, मैं आपको यह भी बता दूंगा कि शराब कौन-कौन आदमी बिकवाते हैं और किन-किन आदमियों की सरपरस्ती में बिक रही है। यह मैं आपको सोमवार को बता दूंगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप टाईम दे रहे रहे हैं और ये बताते नहीं हैं। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, हम अपने-अपने स्थानों पर बरिष्ठ हैं। अपने-अपने स्थानों पर रीप्रेजैंटेटिव हैं। परन्तु इस गरिमामय सदन की एक मान्यता है। माननीय सदस्य चौधरी भजन लाल जी अपने कहे हुए आंकड़ों के बारे में भी नहीं बता रहे हैं। एक जिले के 10 लोगों के मरने की एक सनसनीखेज बात है या तो भजन लाल जी उनके बारे में बताएं कि वे कौन-कौन आदमी हैं या इनके पास उनके बारे में कोई गहरा रहस्य है या इन्होंने इस बारे में जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था। स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब के साथ विपक्ष के माननीय नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप सरकार की आलोचना जम कर करें अगर हमारी कोई गलत बात हो तो उसकी आलोचना आप ढ़ोल बजा कर पूरे प्रदेश में करें। लेकिन यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो आप उसको इस तरह से सनसनीखेज न बनाएं ड्रामाटाइज न करें यह मेरी आपसे गुजारिश है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य चौधरी भजन लाल जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि मैं भी उसी जिले से संबंध रखता हूं जिस जिले के बारे में इन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि मैं उनके नाम बता दूंगा। मैंने भी आपसे यही रिक्वैस्ट की थी कि ठीक है आप उनके बारे में आज नहीं तो फिर बता देना यदि आपके पास उनके नाम आज नहीं हैं। अगर आपने वह बात ऐसे ही कह दी थी तो आप अपने कहे हुए शब्द वापिस ले लें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी की भविष्यवाणी, चौधरी भजन लाल जी के किए हुए वायदे इस हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। इनकी यह पुरानी आदत है ये अपनी कही हुई बात भूल जाते हैं अपनी कही हुई बात को याद नहीं रखते। एक वाक्य इन्होंने हरियाणा की जनता के सामने पिछले चुनावों में दोहराया था कि अगर हविपा, भाजपा की 15 से ज्यादा सीटें आईं तो मैं अपनी नाक कटवा लूंगा और फांसी खा जाऊंगा। इस मामले में इनके भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी पीछे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, झज्जर उप चुनाव हो रहा था तो उस समय चौटाला साहब ने कम से कम कई सौ आदमियों के सामने शर्त लगाई थी और वह शर्त इन्होंने हमारे विधान सभा के भूतपूर्व डिप्टी स्पीकर श्री मनफूल सिंह जी के साथ लगाई कि अगर आप झज्जर का उप चुनाव

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

जीत जाएंगे तो मैं आपको एक लाख रुपये नकद दूंगा। स्पीकर साहब, आज तक वह शर्त पूरी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से प्रार्थना करूंगा और इन दोनों नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि चाहे आपने हरियाणा की जनता को धोखा देने के लिए बात कही हो आपको अपनी बात पूरी करनी चाहिए। चौटाला साहब अगर आप चाहें तो आप इज्जत के साथ वह पैसा उनके पास पहुंचा दें जिसके साथ आपने शर्त लगाई थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की गरिमा कायम रखना विशेष रूप से आपकी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, हम निरंतर देख रहे हैं कि सदन में विपक्ष के विधायकों की तरफ से कोई चर्चा की जाती है तो उस पर आपत्ति की जाती है। उसको इस खम्बे पर लिखी हुई बात को न देख कर असत्य की बजाय झूठ या और कुछ कह कर दबाने का प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए लोग और विशेष रूप से मंत्री, प्रदेश के बड़े अहम मुद्दे के मामले में आन दि फ्लौर औफ दि हाउस असत्य बात कहते हैं और ऐसे मुद्दे पर कहते हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ है। परसों इसी सदन में कृषि मंत्री ने हमारे एक साथी के सवाल के जवाब में यह कहा था कि पानीपत शूगर मिल बन्द करने का निर्णय नहीं लिया गया है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इन्होंने पानीपत शूगर मिल बन्द करने बारे 22-8-96 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में निर्णय लिया है। इसी सदन की कार्यवाही मंगवा कर आप देख लें। कृषि मंत्री ने कहा था कि इसको बंद नहीं कर रहे और न ही ऐसी कोई चिट्ठी जारी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक चिट्ठी है जिसमें यह लिखा है —

"Dear Sir,

This has reference to the decision taken in the meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister on 22-8-96 regarding financial matters concerning the Cooperative Sugar Mills in Haryana. The minutes of the meeting are enclosed as Annexure 'A'. It was decided that the Panipat Cooperativbe Sugar Mill should be made operational during the 1996-97 crushing season inspite of losses. However, it was decided that considering the unviable nature of Panipat Cooperative Sugar Mill, the Mill should be closed after 1996-97 crushing season. The Chief Minister desired that wide publicity should be given in the area about this decision.

I am directed to request you to please take necessary action and give wide publicity in the area in this behalf. Please confirm it if the Mill has given adequate publicity.

Thanking you,

Cane Advisor

for Managing Director"

अध्यक्ष महोदय, इसी मुद्दे को लेकर हमारी तरफ से हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको एक एडजर्नमेंट मोशन भेजी गई थी लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह रिजैक्ट हो गई। वह आपको अधिकार है।

Mr. Speaker : Your adjournment motion has been disallowed.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जहां इतने बड़े बपले हों, जहां पर जनहित के मुद्दे जुड़े हुए हों, उनके बारे में सरकार हाउस मे गलत ब्यानी करके हाउस को गुमराह करे तो इससे खराब बात और क्या हो सकती है। सरकार की नीतियों से किसान परेशान हों उनके बारे में हमारी तरफ से एडजर्नमेंट मोशन दी जाये। अफसोस है वह आपने डिस-एलाऊ कर दी, एडर्जनमेंट मोशन को डिस एलाऊ करने का आपको अधिकार है लेकिन जो यह लैटर जारी किया गया है इसको तो डिस एलाऊ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, जहां तक आपकी एडर्जनमेंट मोशन को डिस एलाऊ करने की बात है, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह बजट सैशन है। आप गवर्नर एड्रैस पर भी बोले, किसी ने नहीं रोका। अब बजट पर भी आप बोलें। आप खुलकर डिस्कशन करें, कोई रोक नहीं है। आपको किसी ने मना नहीं किया, आप कितना ही बोलें।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल इस मिल में बहुत नुक्सान हुआ और कुल मिला कर 101 करोड़ रुपये का नुक्सान इन मिलों में हुआ था। 69 करोड़ रुपया पिछली सरकार कर्जा छोड़ कर गई थी। अब हमने पौने सात करोड़ रुपये छोड़ कर सारा कर्जा चुका दिया है। इस मिल के बारे में अधिकारियों ने मुझे यह बताया था कि यह मिल लगातार कई सालों से घाटे में जा रही थी। जिस लैटर का ये जिक्र कर रहे हैं यह इन्फोर्मल डिस्क्शन हुई थी। जिस अधिकारी ने यह पत्र लिखा वह ओवर कोंशियस हो करके लिखा है। अब इस मिल की पिछले साल की अपेक्षा अच्छी परफोरमेंस है। हमने इस बारे में पब्लिक एन्टरप्राइजिज ब्यूरो और चेयरमैन ऑफ शूगर फैडरेशन को इस मिल को नई जगह लगाने के बारे में लिखा है। साथ ही यह फैसला लिया हुआ है कि जब तक नया मिल नहीं लग जाता या इस मशीनरी की रिप्लेसमेंट नहीं हो जाती तब तक यह मिल यहीं पर चलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत तो हाउस को गुमराह करने की है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो बात इन्होंने कही है कि हम गुमराह करते हैं यह ठीक नहीं है। मुख्य मंत्री जी हाउस को फिर से गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी मीटिंग होती है उसके मिनट्स रिकार्ड में दर्ज होते हैं। आप वह रिकार्ड मंगवा कर देख लें सारी पिक्चर क्लीयर हो जाएगी कि क्या किसी अधिकारी ने अपनी मर्जी से लिखा या मुख्य मन्त्री जी के आदेशों की पालना करने के लिए यह चिट्ठी लिखी गई है। अध्यक्ष महोदय, हम इनकी बातों को कहां तक और क्या-क्या कहें। (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : Chautala Sahib, please take your seat. The Hon'ble Chief Minister has already made the position clear about this issue. इसका जवाब आ गया है। इस मुद्दे का जवाब आ गया है इसलिए अब यह मैटर खत्म हो जाता है। चौटाला साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में मैं इनको बता देता हूं। इसको बन्द करने का फैसला चौधरी भजन लाल की सरकार ने लिया था हमने तो उसको चालू करने का फैसला लिया है। इनकी सरकार ने उसको बन्द करने के लिए एक फैसला लिया था जबकि अब उसे चालू करने का सही और दूसरा फैसला हमारी सरकार ने किया है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी फिर कह रहे हैं कि मिल को बन्द करने का फैसला भजन लाल की सरकार ने किया था लेकिन ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत का

[श्री भजन लाल]

मिल बहुत पुराना मिल है और एक नया मिल पानीपत और गोहाना के बीच में बनाने का फैसला हमने लिया था लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं लिया था कि इस मिल को अभी बन्द कर दो। फैसला यह था कि जब नया मिल चालू हो जाएगा तब इसको बन्द किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह हाउस को फिर से गुमराह कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इस मिल को बन्द कब करना है नया मिल चालू होने के बाद करना था या कब करना था ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो रिकार्ड पर है कि पानीपत और गोहाना के पास डबल कैपेसिटी की एक मिल लगेगी क्योंकि पानीपत की जो मौजूदा मिल है वह शहर के बीच में आ गयी है, इसलिए इस मिल को बन्द करना ही पड़ेगा। लेकिन यह फैसला नहीं लिया गया था कि इसको अभी बन्द कर दिया जाए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पानीपत और गोहाना के बीच में मिल लगाने की परपोज़ल इन्होंने बनाई थी लेकिन हमने परपोज़ल यह बनाई है कि गोहाना में अलग मिल हो और पानीपत में अलग मिल हो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें । (विघ्न) मैं सदन में एक बार फिर यह बात दोहराना चाहता हूं कि कोई भी माननीय साथी चेयर की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं बोले। मैं यह बात एक बार फिर क्लीयर कर दूं कि अगर कोई माननीय सदस्य चेयर की अनुमति लिए बिना बोलेगा तो उसका वर्शन रिकार्ड नहीं किया जाएगा इसलिए बोलने से पहले चेयर की अनुमति प्राप्त कर लिया करें और अनुमति मिलने पर बोलें और बैठे-बैठे कोई बात न कहें।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी झज्जर के उप-चुनाव में बहन कान्ता देवी के लिए वोट मांगने गये थे तो उन्होंने झज्जर में लोगों से यह कहा था आप वोट दे कर कान्ता को जिताओ मैं झज्जर में कामों की झड़ी लगा दूंगा। झज्जर के उप-चुनाव के बाद वहां पर कोई एक ईंट भी लगी हो तो ये बता दें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण-

मुख्य मन्त्री, श्री बंसी लाल द्वारा

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मैं झज्जर उप-चुनाव में गया था और मैंने यह कहा था कि एम०एल०ए० मुझे भी समझें और कान्ता देवी को भी समझें। मैंने वहां के लोगों से यह कहा था कि झज्जर हल्के में तोशाम से कम काम नहीं होगा, तोशाम और झज्जर में कोई फर्क नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, ये तो कहते रहते हैं कि नाक कटा लूंगा और फांसी खा लूंगा। (हंसी) कम से कम आप अगर फांसी वाली बात न करें तो अच्छा है। जैसे गंडा छोलनीये होवे से न, उन पै दरांती होवै। कम से कम उसने अपनी नाक पर भरवा लेते। इसके अलावा ये जो खुदकशी वाली बात करते हैं तो ये ऐसा कर लें तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जावेगा। (हंसी)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो लोगों के साथ वायदे करके आए हैं उनमें से एक तो वायदा पूरा करें। सौ-सौ गल्त बातें लोगों से बोल कर यहां पर आ गए हैं। कहते थे कि शराब बंद कर दूंगा लेकिन आज हरियाणा में कितनी शराब बिक रही है इस बारे में आप लोगों से जाकर पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरास्म्भ)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, हमारे रक्षक हैं। मेरा प्रश्न यह नहीं था कि वह शूगर मिल किस की सरकार ने बनाने का निर्णय लिया और किसने क्या किया। मेरा प्रश्न यह था कि इस सदन को गलत बात कह कर गुमराह किया जा रहा है और इस बात को यह चिट्ठी दर्शाती है। ट्रैजरी बैंचिज की तरफ से, इस सरकार की तरफ से लोगों को गलत ब्यानी की जा रही है। इस चिट्ठी के बारे में आप चाहें तो रिकार्ड मंगवा कर देख सकते हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह हमने नहीं कहा है। आफिसर ने वही लिखा है जो हमने कहा है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि उस आफिसर ने ओवर कांशियस होकर यह बात लिखी है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फाईनैंस मिनिस्टर बजट पढ़ने के बाद प्रैस गैलरी में गए और वहां पर भी उन्होंने गलत ब्यानी करी।

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, आपको इस बारे में बोलने का टाईम बाद में दे दिया जाएगा। अभी आप जीरो आवर में बोल रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमें यहां पर बोलने का अधिकार है और मैं अपनी बात यहां पर करूंगा। यह जो बात मैं कर रहा हूं वह अधिकार की ही बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के ए०एन०भाथुर ने विभिन्न अनुमानों की राशि को घटाए जाने की बात का खण्डन किया है। यह अखबार में लिखा है वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं * * * * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह पेपर वाली बात यहां पर नहीं सुना सकते। इस बात को रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम कोई एडजर्नमैंट मोशन लाएं, कोई कालिंग अटैन्शन मोशन लाएं तो आप उसको डिसअलाऊ कर देते हैं। अगर हम प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता है। (शोर)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता किसी भी बात को ड्रामाटाईज करने में, उसको अलग ढंग से पेश करने में बड़े माहिर हैं। यह तो इंसान की अपनी कला है। इनकी पार्टी के 22 विधायकों ने गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए बहुत लम्बे मुद्दे उठाए और मुख्यमंत्री ने उन सबकी एक एक बात का जवाब दिया। चौटाला जी कल 110 मिनट बोले और जब जवाब सुनने की बारी आई तो उठकर चले गये। अध्यक्ष महोदय पांच तारीख से सदन आपकी अध्यक्षता में चल रहा है चाहे विपक्ष के नेता हों या भजन लाल हों या कोई दूसरा मैम्बर हो, वे किसी भी इन्सटांस पर हमारी गलती बताएं तो हम पश्चाताप करेंगे। ये कोई भी गलत बात बड़ी आसानी से कह कर चले आएं जब उसका जवाब सुनने की बारी आई तो उठकर चले जाएं, यह ठीक बात नहीं है। इनमें उसका जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। यह ठीक बात नहीं है। आप कोई बात कहें जिसमें सबस्टांस हो और हम कठघरे में हों तब तो आपका स्वागत है परन्तु किसी भी बात को यूं ही पब्लिक कंजम्पशन के लिए कह देना ठीक नहीं है। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए । आपका बोलने का यह कोई तरीका नहीं है। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आप मुझे केवल एक मिनट बोलने का समय दें। मैं बहुत ही कैटेगरीकली इनसे पूछ रहा हूं। स्पीकर सर, चौधरी भजनलाल जी ने चार दिन पहले दारू बेचने वालों के नाम बताने के लिए कहा था लेकिन इन्होंने आज तक वे नाम नहीं बताए। कल आपने भी पूछा और हमने भी पूछा । उस समय तो इन्होंने कह दिया कि दारू बिक रही है और उन्होंने अपने-अपने एरिये बांट रखे हैं तथा इससे दस आदमी मारे गए लेकिन जब हमने इनसे कहा कि नाम बताओ तो ये आज तक भी उनके नाम नहीं बता सके। (विघ्न) इस तरह से बातों को इल्माटाईज करने से बात नहीं बनेगी। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप बैठिए। Please do not try to rebuke. I would not be rebuked by you. Take your seat. Please listen properly. अगर आप फिर भी हाऊस को नहीं चलने देंगे तो फिर I will have to adopt the last resort.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा आपके सामने उठाया। वह कोई बहस की बात नहीं है। बहस की बात सिर्फ इतनी है कि एक तरफ सरकार ने सदन में आन दि फ्लोर ऑफ दी हाउस यह कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा और दूसरी तरफ एक चिट्ठी जारी हुई है। (विघ्न) मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जिस औफिसर ने यह चिट्ठी लिखी उसने यह ओवर कांसियस होकर लिखी। हमारी यह मंशा नहीं थी कि यह मिल बंद की जाए लेकिन स्पीकर सर, यही बात अगर सदन के सत्ता पक्ष के मंत्री या मुख्यमंत्री उस वक्त कहते कि हमने यह चिट्ठी लिखने के लिए नहीं कहा, मिल बंद करने के लिए नहीं कहा बल्कि किसी अधिकारी ने ओवर कांशियस होकर यह बात कही तो फिर बात मानी जा सकती है। लेकिन आज तो मुद्दा यह है कि क्या सरकार की चिट्ठी झूठी है या संबंधित मंत्री ने जो ब्यान दिया है वह झूठा है। अगर वह ब्यान झूठा है तो स्पीकर सर, यह सदन की गरिमा के हनन का सवाल है This is the contempt of the House. Every Minister should say clearly. यह प्रिवलेज का मामला है। मैं आपसे विनती करूंगा कि इन दोनों बातों में से एक न एक बात तो सच्ची है। क्या वह लैटर सच्चा है या फिर सदन के नेता ने जो बात कही है कि अधिकारी ने ओवर कांसियस होकर यह चिट्ठी लिखी, सही है। चिट्ठी तो रिकार्ड का एक हिस्सा है। मुख्यमंत्री जी खड़े होकर इस बारे में बता दें।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, हकीकत तो यही है और मैं अभी तक यह बात कहता हूं कि अधिकारी ने ओवर कांसियस होकर यह चिट्ठी लिखी। मैं जब कैम्प दफ्तर में काम कर रहा था तो मेरे पास वह अधिकारी आया और यह मामला मुश्किल से पांच मिनट डिस्कस हुआ होगा तभी यह डिसाईड हुआ था। उस समय मैंने यह कहा कि हम इस मिल को कहां पर लगाने का फैसला करें, कहां पर यह मिल लगायी जाये और अगर इस मिल में तीस करोड़ या इतने का ही घाटा है तो हम इस मिल को नहीं चला सकते। यानि मिल तो शेयर होल्डर्ज का है और अगर सारा खर्चा सरकार भरे तो यह बात ठीक नहीं है। आप इसकी मुनादी कराएं कि यह मिल नहीं चलेगी। उन्होंने भी यही कहा कि यह नहीं चल सकती। मैंने यह कहा कि अगर यह मिल नहीं चल सकती तो लोग हमको मारेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला चौधरी भजन लाल की सरकार के वक्त में लिया गया था कि इसको बंद कर दें और गोहाना में

1.00 बजे

मिल चालू कर दें तो मैंने कहा कि गोहाना की अलग मांग है हम गोहाना की मिल भी चलाएंगे। असल में तो उस वक्त यह बात डिस्कस हुई थी। अगर हमें वह मिल बंद भी करनी है तो पहले उसकी मुनादी करवाएंगे ताकि किसानों को परेशानी न हो। (शोर एवं विघ्न) स्पीकर सर, फाइल में देखूंगा और मैं यह भी देखूंगा कि उन अधिकारियों ने कैसे क्या किया ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने ऐसा मुद्दा उठाया है जिसके द्वारा वे सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं।(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस स्थिति को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है। ओम प्रकाश जी द्वारा ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है।(शोर एवं व्यवधान) ये हमारे कार्यक्रम में तबदीली करवाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) सारा हरियाणा जानता है कि किस तरह से इनके समय में मुख्यमंत्री बदला करते थे। एक महीने पहले मुख्यमंत्री बनारसी दास (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउट

Mr. Speaker : Now as the Leader of the House has assured in this regard, the matter comes to an end. I have received a calling attention motion from Capt. Ajay Singh (Noise & Interruptions).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, हमें अपनी बात कहने का मौका दें। यह बहुत जरूरी मामला है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब आप बैठ जाइए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं देते हैं तो हम इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम भी इसके विरोध में सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय समता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

विभिन्न विषयों पर मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, हकीकत तो यह है कि न तो इनके पास कुछ कहने को है, न सुनने को है। लीडर ऑफ दि अपोजीशन श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसी सदन में उस दिन यह कहा था कि इनके जमाने में जब ये मुख्यमंत्री थे, ये थे तो उलट-पुलट में। जैसे हैं वैसे ही उलट-पुलट होते रहे। कहते हैं मेरे जमाने में बिजली बोर्ड 8 करोड़ रुपये महीना मुनाफा कमाता था और रिकार्ड में 91 करोड़ रुपये का एक साल का घाटा है। इनके हिसाब से देखा जाए तो 96 करोड़ रुपये एक साल का मुनाफा होना चाहिए। फिर कह दिया कि महेन्द्रगढ़ और भिवानी के किसानों को चौधरी देवी लाल ने सलैब रेट दिया था। मैंने सदन में रिकार्ड से पढ़कर बता दिया कि जनवरी 1971 में सलैब रेट मैंने दिया था। उस समय चौधरी देवी लाल संसद के आसपास भी नहीं थे। ऐसी कितनी बातें ये कह गए। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि जो काम ए०बी०बी० जर्मनी की फर्म करना चाहती है वही काम बी०एच०ई०एल० 40 करोड़ रुपये में करके देगी। मैंने पढ़कर सुना दिया कि बी0एच०ई०एल० की 288 करोड़ रुपये की

[श्री बंसी लाल]

ऑफर थी। (विघ्न) इन भाइयों को गलत बात कहने से पहले सोचना चाहिए। भागने की सोचते हैं भागते रहेंगे इसमें हम क्या करें। ये सिर्फ बातें हांक सकते हैं, बढ़ सकते हैं, समझकर और पढ़कर तो आते नहीं। घड़ते रहेंगे। पानीपत शूगर मिल के बारे में चौधरी भजनलाल जी ने यह रिवायत की हुई है कि इस मिल को बंद कर दिया जाए। ठीक है, मैंने यह कहा था। क्योंकि उस दिन जैसी पिक्चर मेरे सामने रखी थी कि इस मिल को कैसे चलायें तो उसी के आधार पर मैंने यह कह दिया था कि मिल बंद करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने फौरन चेयरमैन, पब्लिक ब्यूरो इंटरप्राईजिज और शूगर फैडरेशन के चेयरमैन के साथ मिटिंग की और उनके सामने यह मामला रखा। हमने उनको कहा कि आप इस पर दोबारा सोचें और इसको री कंसीडर करें कि इस मिल को कैसे चलायें। हमने दो मिनट में यह फैसला किया कि जब तक नई मिल बन कर तैयार नहीं हो जाती तब तक इस पानीपत मिल को हम चलायेंगे, बंद नहीं करेंगे। चौधरी ओमप्रकाश चौटाला सरकारी गाड़ी में बैठकर जगह-जगह चले गये और कहा कि शूगर मिल में हड़ताल कर दी जाये जिसके कारण दस-बारह दिन मिल बंद रही। ये किसानों के साथ हमदर्दी की बात जताते हैं। जब इनकी सरकार थी तो किसानों का गन्ना खेतों में जलाया गया था। अब किसानों के साथ हमदर्दी रखने की बात करते हैं। उनमें सुनने की हिम्मत है नहीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

भिवाड़ी औद्योगिक एस्टेट से कैमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़ने संबंधी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a call attention motion from Capt. Ajay Singh Yadav, M.L.A. regarding flow of chemical poisnous water from Industrial Estate, Bhiwadi. He may please read the motion.

Capt. Ajay Singh Yadav : Sir I want to draw the attention of this august House towards a matter of an urgent public importance that Bhiwadi an Industrial Town of Rajasthan has developed near Dharuhera and its surrounding areas. There has been a serious problem of flow of chemical and poisonous water from Bhiwadi which is causing a serious problem to the farmers of Akera, Garhi Alawalpur, Maheswari, Gujar Ghatal and Dharuhera. The chemical water destroys the crops of the farmers and even enters the colonies of Dharuhera and Housing Board Complex. The entire Dharuhera,-Bhiwari Road to Sohna and Taoru near Dharuhera is under two feet of this chemical water. The entire area is suffering due to poisonous and chemical water. It causes pollution and in case it falls on any human being it leads to burns and even have an allergic effect. This chemical water is a health hazard.

The land where this chemical water accumulated becomes barren and totally waste land gives a very foul smell. Thereby it is becoming an environmental hazard and is polluting the area and causing harm to people's health and crops. The Government should immediately intervene on this subject and direct the Rajasthan Government to stop this in-flow of chemical water into Haryana.

Therefore, I request the Government to make a statement in this regard on the floor of the House.

वक्तव्य—

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

पर्यावरण राज्य मंत्री (श्री सुभाष चौधरी) : भिवाड़ी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड द्वारा विकसित राजस्थान की मुख्य औद्योगिक सम्पदा है, जो सोहना-तावडू-धारूहेड़ा सड़क पर स्थित है। भिवाड़ी औद्योगिक सम्पदा में 600 ईकाईयां है जिनमें से 48 ईकाईयां जल प्रदूषित हैं। भिवाड़ी कस्बे में औद्योगिक एवं घरेलू मल के डिसचार्ज के लिए सीवरेज सिस्टम नहीं है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों की एक कमेटी मौके का जायजा लेने और अपनी वास्तविक रिपोर्ट देने के लिए भेजी गई :—

1. श्री के०के० यादव, पर्यावरण अभियन्ता, फरीदाबाद।
2. श्री के०के०मेहता, पर्यावरण अभियन्ता, गुड़गावां।
3. डॉ० दिनेश सरीन, प्रयोगशाला ईन्चार्ज, फरीदाबाद।
4. डॉ० पी०के एम०के० दास, वैज्ञानिक "ख", फरीदाबाद।

बिचार-विमर्श के दौरान, रिको के क्षेत्रीय प्रबन्धक ने बताया कि डिसचार्ज एवं घरेलू मल की कुल मात्रा लगभग 2000 किलोलीटर प्रतिदिन है। कस्बे का प्राकृतिक ढालान पूर्व से पश्चिम की तरफ है। गन्दा पानी 5×1.5 मीटर चौड़े पक्के नाले के द्वारा ले जाया जाता है। इस नाले की कुल लम्बाई 1900 मीटर है जिसमें 1200 मीटर पक्का नाला राजस्थान के क्षेत्र में है और शेष 700 मीटर कच्चा नाला हरियाणा राज्य में स्थित महेश्वरी गांव पंचायत की जमीन से बहता है। गन्दा पानी खुले नाले से बहता है और भिवाड़ी शहरी इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की जमीन तथा साथ लगती हुई हरियाणा राज्य की भूमि पर फैलकर गड्ढों में एकत्रित हो जाता है। गड्ढों के भरने के पश्चात् फालतू पानी गांव महेश्वरी तथा गढ़ी अलावलपुर के गांव के खेतों में प्रवेश कर जाता है। बरसात ऋतु में जब पानी का डिसचार्ज ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो एरिया प्राकृतिक ढालान में होने की वजह से हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, धारूहेड़ा इससे प्रभावित होते हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गांव अकेरा तथा गुजर घटाल इस गंदे पानी से प्रभावित नहीं होते।

कमेटी के सदस्यों ने क्षेत्र का निरीक्षण करते समय स्थानीय ग्रामीणों, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम राजस्थान के अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण रोकथाम बोर्ड भिवाड़ी के पर्यावरण अभियन्ता से भी विचार-विमर्श किया। यद्यपि अर्बन इम्प्रूमैंट ट्रस्ट भिवाड़ी तथा साथ लगते हुए हरियाणा राज्य क्षेत्र के बाई तरफ भिवाड़ी धारूहेड़ा रोड़ पर गन्दा पानी ठहरा हुआ है। परन्तु पक्के रोड़ और गांव महेश्वरी और गढ़ी अलाबलपुर के गांवों में कोई पानी नहीं था। हरियाणा क्षेत्र में जहां पानी खड़ा होता है लगभग 12 एकड़ है परन्तु फिलहाल में गन्दा पानी छोटे-छोटे टुकड़ों में रिवाड़ी जिले के महेश्वरी गांव के दो एकड़ के एरिया में खड़ा हुआ है। शेष 3 गांव गढ़ी अलावलपुर, गुजर घटाल और हाऊसिंग बोर्ड कालोनी और धारूहेड़ा भिवाड़ी रोड़ से सोहना तावडू रोड़ नजदीक धारूहेड़ा केवल बरसात ऋतु में ही भिवाड़ी के गन्दे पानी से प्रभावित होते हैं जब प्राकृतिक ढालान की वजह से गन्दे पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। प्रभावित जगह के दौरे के वक्त टीम ने पाया कि भिवाड़ी और धारूहेड़ा रोड़ के साथ लगने वाले खेतों में प्रदूषण के कुछ संकेत मिले हैं लेकिन खड़ी हुई फसल को कोई नुकसान नहीं देखा गया। यह तथ्य है कि प्रदूषित पानी कैमीकल युक्त है जो मानवीय जीवन के लिए हानिकारक है और भिवाड़ी

[श्री सुभाष चौधरी]

औद्योगिक कस्बे के प्रदूषित मल के डिस्चार्ज से जो गन्दी बदबू फैलती है के कारण साथ लगते क्षेत्र के गांव महेश्वरी और गढ़ी अलावलपुर प्रभावित हैं। टोकसिटी और कैमीकल प्रदूषण का अनुमान लगाने के लिए खड़े पानी तथा नाले के सैम्पल लिये गये थे रिको औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 तथा फेज-2 के इकट्ठे एफ्लूनैन्ट सैम्पल की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि एफ्लूनैन्ट अधिक प्रदूषित किस्म का है क्योंकि इसमें सी०ओ०डी० की मात्रा 644 एम०जी०/एल० है जबकि निर्धारित सीमा 250 एम०जी/एल० है। इस तरह सस्पैंडिड सोलिड 221 एम०जी०/एल० है। जबकि इसकी निर्धारित सीमा 100 एम०जी०/एल० है। जहां तक बी०ओ०डी० के परिणाम का सवाल है इसके सैम्पल के रिजल्ट 3 दिन के विश्लेषण के बाद मिलते हैं अत्याधिक सी०ओ०डी० तथा सस्पैंडिड सोलिड की मात्रा मानव जाति के स्वास्थ्य व फसल के लिये हानिकारक है और यह भूमि के नीचे पानी को प्रभावित करने के अतिरिक्त जमीन को भी प्रदूषित करता है जिससे यह कृषि योग्य नहीं रहती।

टीम के दौरे के वक्त रिको अधिकारियों ने बताया कि इण्डस्ट्रियल एरिये के गन्दे पानी को अलवर रोड़ के नजदीक पक्के टैंक में इकट्ठा किया जायेगा और ए०सी०/आर०सी०सी० पाईपों से पम्पिंग करके गांव शीतला खानपुर के पास नाले में डाला जायेगा जो अन्त में साहिबी नदी में गिरेगा। इस प्रोजैक्ट की कुल लागत 133.00 लाख है और काम चालू है। यह प्रोजैक्ट 30-6-1997 तक पूरा होने की सम्भावना है और इस प्रोजैक्ट के पूरा होने पर भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का पानी हरियाणा राज्य क्षेत्र में नहीं फैलेगा।

हरियाणा राज्य प्रदूषण रोकथाम बोर्ड ने केन्द्रीय राज्य प्रदूषण रोकथाम बोर्ड से अनुरोध किया है कि वे हरियाणा राज्य क्षेत्र में हो रहे गन्दे पानी के डिस्चार्ज को रोकने के लिए मामला राजस्थान प्रदूषण रोकथाम बोर्ड से उठाये और दीर्घकालीन उपाय जैसे कोमन एफ्लूनैन्ट ट्रीटमैन्ट प्लान्ट तथा इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए उचित डिस्पोजल सिस्टम आदि जैसे उपायों का प्रबन्ध करायें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी-धारूहेड़ा नया इंडस्ट्रियल कॉम्पलैक्स बनना शुरू हो गया है। वहां पर ये देखा गया है कि जितने भी गांव हैं, जैसे नंदरामपुरबास, महेश्वरी, गुज्जर घटाल आदि ये गांव उस एरिया के साथ लगते हैं। इन गांवों की जमीन में उन इंडस्ट्रीज का गंदा पानी आता है। इस बारे में इन्होंने अपने जवाब में भी बताया है। उस गंदे पानी को ड्रेन द्वारा साहबी नदी में छोड़ते हैं। उससे अंडरग्राउंड वाटर अफैक्टिड होता है। क्योंकि वहां पर ट्यूबवैल वगैरह लगे हुए हैं, उसी पानी को लोग पीते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या आपने सैंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वहां पर वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के बारे में कोई बातचीत की और क्या आपने राजस्थान सरकार से वहां पर वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के बारे में कोई बातचीत की। स्पीकर साहब, उस गंदे पानी से वहां पर एनवायरनमैंट भी बहुत खराब रहता है। आप राजस्थान सरकार से यह कहें कि वह उस गंदे पानी को ट्रीट करके साहिबी नदी में डाले ताकि उसका अफैक्ट हमारे यहां न पड़े।

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर साहब, हरियाणा राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भारत सरकार को लिखित रूप में केस भेजा है कि राजस्थान सरकार को इस बात के लिए कहा जाए कि भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज का जो गंदा पानी साहिबी नदी में गिरता है उसको ट्रीट करके पाईप लाईन के जरिए साहिबी नदी में डाला जाए ताकि उसके आस-पास की जमीनें खराब न हों और वहां का सब-सायल वाटर लैवल भी प्रदूषित न हो। भिवाड़ी में एक पक्का वाटर क्लैक्टिंग टैंक लगाएं और वहां पर उस पानी को ट्रीट करने

के लिए एक वाटर ट्रीटमैंट एफ्लुएंट प्लांट लगाएं ताकि वह गंदा पानी साहिबी नदी के जरिए हरियाणा की तरफ न आए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास उनकी तरफ से लिखित रूप में वहां पर वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के बारे में आश्वासन आया है क्योंकि उस गंदे पानी का बुरा असर वहां के अंडर ग्राउंड वाटर पर पड़ेगा। मैं कैटेगोरिकली आप से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगेगा या नहीं।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह इन्टरस्टेट डिसप्यूट है। हमने राजस्थान सरकार को वहां पर ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के बारे में लिखा है और उनको यह भी लिखा है कि साहिबी नदी में जो पानी छोड़ा जाए वह ट्रीट करके पाईप लाईन के जरिए साहिबी नदी में डाला जाए। हमारी यह कोशिश रहेगी कि प्रदूषण रहित पानी हरियाणा में आए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि यह इन्टरस्टेट मामला है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय राम बिलास शर्मा जी बी०जे०पी० के मंत्री हैं राजस्थान सरकार से वहां पर वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि वहां पर बी०जे०पी० की सरकार है। आप खुद जा कर उनसे बात कर सकते हैं। आप कोर्ट में भी एक पैटीशन डाल सकते हैं कि उस गंदे पानी से उस एरिया के लोगों की हैल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है। स्पीकर साहब, बरसात के दिनों में सारे धारूहेड़ा क्षेत्र का बहुत बुरा हाल होता है। बरसात के दिनों में भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज का गंदा पानी आने के कारण धारूहेड़ा क्षेत्र के किसानों की सारी फसलें बरबाद हो जाती है। वहां की जमीन बिल्कुल काली हो जाती है। जहां से वह पानी गुजरता है उस जमीन में अनाज का एक दाना नहीं होता।

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर साहब, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार से बात की है और हम अपनी तरफ से इस बात का कोई न कोई हल निकालने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि पांच साल तक मेरे आदरणीय सदस्य पिछली सरकार में रहे और मंत्री रहे उस समय इन्हें इस बात की सुध नहीं आई कि उस गंदे पानी से कितना नुक्सान होगा। उस समय भी इनको यह देख लेना चाहिए था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उस वक्त हमने यह मामला टेक अप किया था।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप एक मिनट बैठें। मंत्री जी, माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह जी ने जो मसला उठाया है यह वाकई में एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। जब मैं विपक्ष में था उस समय मैंने भी यह मामला कई बार उठाया था क्योंकि मेरा पैतृक गांव वहां से तकरीबन दो या तीन किलोमीटर दूर है। आपने यह ठीक फरमाया कि उस समय कैप्टन साहब उस सरकार में वजीर थे और उस समय इन्होंने मेरी बात को कभी नहीं सुना। क्या आप भी उसी तरह से इस बात को अनसुनी कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मसला है।

श्री सुभाष चौधरी : स्पीकर साहब, हम हर सम्भव प्रयास करेंगे कि जो गंदा पानी राजस्थान से हरियाणा के अन्दर आता है उसको राजस्थान सरकार साफ करके साहिबी नदी के अन्दर डाले ताकि हमें उस पानी से नुक्सान न हो सके।

गैर सरकारी प्रस्ताव (पुनरारम्भ)--

आगरा कैनाल का प्रशासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में लेने तथा हरियाणा राज्य का पानी का हिस्सा बढ़ाने संबंधी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now resumption of discussion on non-official resolution will take place. Shri Balwant Singh Maina was on his legs. He can continue his speech.

श्री बलवंत सिंह (हसनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा दावा जताया गया है कि आगरा कैनाल पर राज्य सरकार का अधिकार है। यह बात बिल्कुल निराधार है। इस नहर से 11 चैनल और 3 डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं। आबियाना भी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा वसूल किया जा रहा है। इस नहर का जो कैनाल हैड है वह भी यू०पी० की सरकार के कब्जे में है। उसका पूरा नियंत्रण उत्तर प्रदेश की सरकार के पास है। हरियाणा का इस नहर पर 20 परसेंट हिस्सा बनता है जिसके तहत 782 क्यूसिक्स पानी बनता है जबकि आज के दिन हरियाणा को 782 क्यूसिक्स की बजाये केवल 300 क्यूसिक्स पानी मिल रहा है। यह मैं मानता हूं कि इस नहर के हैड का नियंत्रण लेने के लिए यू०पी० सरकार के साथ, वहां के सचिव के साथ और मुख्य मंत्री लैवल पर बात हुई है, मीटिंगे भी हुई हैं लेकिन आज तक उसका नियंत्रण लेने के लिए कोई परिणाम सामने नहीं आया है। इसी प्रकार से आज के दिन वहां पर मुकदमेबाजी में भी हमारे किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है। लोगों को मुकदमों से निपटने के लिये आगरा और मथुरा जाना पड़ता है जिससे लोगों का नुक्सान होता है। सारी मैनेजमेंट उनके हाथों में है जिस कारण हरियाणा के किसानों को बहुत भारी नुक्सान हो रहा है। किसानों के खेतों में पानी नहीं जा रहा है। जिस के कारण किसान अपने खेत में न तो समय पर प्ले कर पाता है और न ही वह गेहूं की फसल में कोरबे का पानी दे पाता है। इस नहर का पानी न मिलने के कारण यहां का किसान इस नहर के पानी से महरूम रह जाता है। इसलिए मेरी मांग है कि इस नहर का नियंत्रण हरियाणा सरकार के हाथों में तुरन्त लिया जाना चाहिए। यहां पर यह कहा जाता है कि इस नहर से काफी पानी हरियाणा प्रदेश को मिलता है जबकि हकीकत यह है कि पानी बहुत कम मिलता है। इसी संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर बहुत सी माईनर ऐसी हैं जिनकी सफाई नहीं होती जिस के कारण जो पानी आता है वह भी पूरा नहीं आ पाता। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि झज्जर सब ब्रांच है, मायना माईनर है, भालौट माईनर है या दुलहेड़ा माईनर है, इनकी सफाई नहीं की जाती।

श्री अध्यक्ष : मायना साहब, यह तो सफाई की बात आप करने लग गए जबकि यह प्रस्ताव तो आगरा नहर का नियंत्रण लेने के बारे में है।

श्री बलवंत सिंह : इसी से संबंधित बात है। स्पीकर साहब, एक बात देखने में यह आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बेलदार नहरों की सफाई के लिए रखे जाते हैं वे वहां पर काम नहीं कर पाते क्योंकि जो बेलदार होते हैं उनसे अफसरों द्वारा अपने घरों का काम करवाया जाता है और वहीं पर ड्यूटी देते हैं। आगरा कैनाल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि कब्जा सच्चा और झगड़ा झूठा होता है। जब तक इस आगरा कैनाल का कब्जा नहीं लिया जाता तब तक किसानों का खासकर मेवात के एरिया के लोगों को बहुत नुक्सान होता रहेगा। मेवात का एरिया पानी से महरूम रह जायेगा। झूठे आंकड़े यहां पर दे देने से तो हमारा कब्जा नहीं हो जाता और न ही इससे कोई बात बनती है। सही बात तो यह है कि इस नहर का कब्जा हरियाणा सरकार ले ताकि अपने इलाके के किसानों को समय पर पानी मिल सके।

स्पीकर सर, आज किसान को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन इस प्रकार से आज हमारा हरियाणा प्रदेश उस पानी से महरूम है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को बने हुए करीब 9 मास का समय हो गया है लेकिन इस अवधि में इस सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई कारगुजारी नहीं दिखाई है। न तो मौजूदा सरकार ने और न ही इससे पिछली सरकार ने एस०वाई०एल० नहर को बनाने का कोई कार्य किया न ही मौजूदा सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई रूचि दर्शाई है या ऐसा दर्शाया है कि एस०वाई०एल० का काम शुरू होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने हमारे कृषि मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल बैठे हुए हैं वे इस नहर के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय साथी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन्होंने एस०वाई०एल० के बारे में बात उठाई है और उनकी पार्टी के सदस्य भी बार बार इसका जिक्र करते रहते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि एस०वाई०एल० पर चर्चा करने की बात का हम भी सम्मान करते हैं परन्तु वे चर्चा करने से पूर्व अपने माननीय नेता से भी इस बारे में बात करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इनकी अपनी पार्टी के नेता भी इसी सदन में बैठे हुए हैं। एस०वाई०एल० हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज है इनकी पार्टी के नेता पंजाब के मुख्य मंत्री जी के बहुत अच्छे मित्र हैं वे हरियाणा प्रदेश के हितों के बारे में उनसे सिफारिश करें। अध्यक्ष महोदय, इनके नेता पंजाब के पिछले चुनाव में पंजाब के वर्तमान मुख्य मंत्री जी की पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए पंजाब भी गये थे। (विघ्न) (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी से यह आश्वासन चाहता हूं कि कोई भी बात सदन में कहने से पहले अपने नेता से फैसला कर लें क्योंकि वे पंजाब जा कर उस पार्टी के लिए वोट मांगते हैं जो पार्टी कहती है कि एस०वाई०एल० नहर बनने नहीं देगे और पंजाब के पानी की एक बूंद भी हरियाणा में नहीं जाने देंगे।

श्री बलवंत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, अपनी स्पीच के दौरान में मैं एस०वाई०एल० और आगरा कैनाल पर चर्चा कर रहा था और माननीय कृषि मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल ने एक बात कही हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वे इस मामले में पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब से बात करें। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर भाजपा और हविपा की इकट्ठी सरकार है। इसी प्रकार से आज पंजाब के अन्दर भी जो सरकार है भाजपा उस सरकार में हिस्सेदारी कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे अपने भाजपा के साथियों से कहेंगे कि पंजाब सरकार से इस बारे में बात करें। आपने आज अखबारों में भी पढ़ा होगा। भाजपा के लोग हरियाणा सरकार में शामिल हैं और भाजपा के लोग पंजाब सरकार में भी शामिल हैं इसलिए आज सब को मिल कर चाहिए कि एस०वाई०एल० नहर खुदवाने के लिए प्रयास करें। अगर किसी पिछली सरकार ने कोई ऐसी बात की है जो कि गलत है उसे छोड़ कर हरियाणा प्रदेश के अन्दर एस०वाई०एल० नहर खुदवाया जाना जरूरी है क्योंकि हरियाणा प्रदेश कृषि पर निर्भर करता है इसलिए सभी लोग मिल कर सामूहिक तौर पर यह प्रस्ताव पारित करें कि हरियाणा प्रदेश में एस०वाई०एल० नहर खुदवाई जानी चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश के लोग और किसान जो चुने हुए हैं लोग हैं उनकी तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं कि कब हरियाणा के अन्दर एस०वाई०एल० का पानी आएगा। आज इनकी सरकार हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि वे लिखकर उनसे इस बारे में प्रस्ताव करें। इस बात के लिए हम अपोजिशन वाले आपके साथ सहयोग देंगे। इसके अलावा भाखड़ा की बात है। आज भाखड़ा का रख रखाव ठीक तरह से नहीं हो रहा है उसका कंट्रोल पंजाब के पास है। उसकी पानी की

[श्री बलवंत सिंह]

कैपेसिटी कम हुई है। डब्ल्यू०जे०सी० के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जो लिंक नहर है वह भी आज गाद से भरी पड़ी है। उसकी पानी की कैपेसिटी भी कम हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी चुनावों के दौरान यह कहते थे कि चौधरी देवी लाल दक्षिण हरियाणा का पानी ले गया। लेकिन आज इनकी सरकार है और भिवानी, रोहतक और महेन्द्रगढ़ में आज भी पानी नहीं है। ये जो नहरों के इलाके हैं जहां पर नहरें हैं उनको खुदवा कर उनकी कैपेसिटी बढ़वाएं ताकि वहां पर पानी आ सके। इसी प्रकार झज्जर सब ब्रांच की भी बात है। आज किसी भी कैनाल की, नहर की सफाई नहीं करवाई गई और सरकार कहती है कि हमने सफाई करवाई है सिल्ट निकलवाई है। लेकिन मैं कहता हूं कि इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी चुनावों के प्रचार में लोगों से कहते थे कि आप लोग गंगा में नहाने जाते हैं लेकिन अगर आप मुझे जिता देंगे तो आपको वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है मैं हरियाणा प्रदेश में गंगा का पानी लाकर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनावों के दौरान लोगों से जो झूठे वायदे किए जाते हैं वे नहीं करने चाहिए। हरियाणा की सरकार को चाहिए कि वे पंजाब से बात करके हरियाणा के लोगों को एस०वाई०एल० का पानी दिलवाए। भाखड़ा का पानी नरवाना को भी देना चाहिए। डब्ल्यू०जे०सी० लिंक नहर की पानी की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वे सारे हरियाणा में पानी को लाए। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, अब दादूपुर की बात आती है आज भी वह नहर अधूरी पड़ी हुई है। उस पर काम करने की इस सरकार की कोई सोच नहीं है। इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। जो वहां पर सफाई का काम है वह पैसे की कमी के कारण रुक जाता है। मुझे ज्ञान हुआ है कि चालीस लाख रुपये आगरा कैनाल के लिए रखे गये हैं। मुझे यह नहीं पता है कि यह सही बात है या गलत है। यू०पी०के मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह जी थे और पता नहीं वे पलवल या पुनहाना में आए थे उन्होंने आने से पहले कहा था कि जब मैं हरियाणा प्रदेश में जाऊं तो उससे पहले आगरा कैनाल की सफाई करके पानी भेज दिया जाए। यह मुझे पता लगा था। अब यह बात कहां तक सत्य है और कहां तक असत्य है यह तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैं यह बात हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं जैसे मुझे बताया गया कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने इसके लिए चालीस लाख रुपये मंजूर किए थे। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह पैसे हरियाणा सरकार के थे या फिर यह यू०पी० सरकार के पैसे थे, यह मैं सरकार से जानना चाहूंगा और इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे आगरा नहर के कंट्रोल के मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आगरा नहर के मुद्दे पर जो यह प्रस्ताव श्री जगदीश नायर, श्री हर्ष कुमार, श्री सतपाल सांगवान और चौधरी सोमवीर सिंह द्वारा लाया गया है, इस पर बोलने के लिए आज मैं हाउस में खड़ा हुआ हूं। इन चारों विधायकों द्वारा जो यह प्रस्ताव लाया गया है, मैं सबसे पहले इनको मुबारकवाद देना चाहता हूं क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद एवं पलवल आदि क्षेत्रों के किसान इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। यह मामला कई सालों से लटका पड़ा हुआ था लेकिन आज इस बारे में इन्होंने यह प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है। मुझे इस प्रस्ताव में दो बातें नजर आती हैं। एक तो यह कि "यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि वह हरियाणा क्षेत्र से गुजरने वाली आगरा नहर का प्रशासनिक नियंत्रण अपने अधिकार में ले" और दूसरी बात यह है कि "हरियाणा राज्य का पानी का हिस्सा बढ़ाने संबंधी मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाए"। उपाध्यक्ष महोदय, 6 मार्च से इस सदन में चर्चा चल रही है और सरकार द्वारा बहुत बढ़ चढ़कर बातें कही जा रही हैं कि आगरा नहर का

नियंत्रण तकरीबन तकरीबन अपने पास लेने में सरकार कामयाब हुई है। लेकिन मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार की ये बातें तथ्यों के विपरीत हैं। इनकी ये बातें ठीक नहीं है। यह ठीक है कि कुछ एक एरिये का नियंत्रण जो कि हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, उसकी साफ सफाई, उसकी देखरेख का मामला हरियाणा को मिला है जो कि पहले से एक इम्बूबमैंट की स्थिति है। परन्तु आज भी इस कैनाल का वह हैड जहां से हरियाणा को पानी मिलता है, उससे डेढ़-दो किलोमीटर दूर तक का नियंत्रण आपके पास नहीं है। जब तक सरकार इस बारे में कोई कारगर कदम नहीं उठाएगी तब तक इस क्षेत्र के किसानों की तकलीफों का हल नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह यू०पी० सरकार के साथ इस मामले को उठाए और वहां के राज्यपाल से इस बारे में बात करें। आजकल वहां पर राष्ट्रपति शासन है। सरकार को केन्द्रीय सरकार से भी इस बारे में बात करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो सरकार को यह मामला इंटर स्टेट वाटर डिसप्यूट ट्रिब्यूनल में लेकर जाना चाहिए। यह एक बहुत लम्बी समस्या है। इससे केवल एक पार्टी ही जुड़ी हुई नहीं है बल्कि सारी पार्टी इस मामले से जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार इस बात को सुलझाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ एक मामला और आगरा कैनाल से जुड़ा हुआ है जिसकी चर्चा इसमें नहीं की गयी है। यह मामला नहरी आबियाने का है। कर्ण सिंह दलाल यहां पर मौजूद हैं और इनका वह क्षेत्र भी है इसलिए इनको इसकी ज्यादा जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश के आबियाने की दर हरियाणा के आबियाने की दर से दो सौ प्रतिशत से तीन सौ प्रतिशत ज्यादा है। इसके अलावा एक मामला और इसी से जुड़ा हुआ है वह है हरियाणा प्रान्त के किसानों के नहरी आबियाने का। हरियाणा सरकार ने 1545 करोड़ रुपये का ऋण वर्ल्ड बैंक से लिया है, नहरों के आधुनिकीकरण व नये रजबाहों के निर्माण के लिए। महकमा नहर के अफसरों ने बताया कि जो पीछे दो बार आबियाना बढ़ा है उसमें सन् 2000 तक हरियाणा के किसान की आबियाने की दर को दो सौ प्रतिशत और बढ़ाने का प्रावधान है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की स्कीम के अंदर यह लिखा हुआ है कि हरियाणा के किसान द्वारा दी जाने वाली नहरी आबियाने की दर नहर की सालाना मेंटीनैंस कॉस्ट के बराबर होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, यह एक ऐसा मामला है जो न सिर्फ पलवल और फरीदाबाद क्षेत्र के किसान से जुड़ा हुआ है बल्कि हरियाणा के हर जिले के आम किसान से संबंधित है। आपको मालूम है कि आज कृषि के अंदर जो आय है उसमें किसान नुक्सान उठाता है इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सारे के सारे आबियाने की दर किसान से वसूल करने की बजाय इसमें दो और सीधे स्त्रोत आय के हैं जिनको सरकार को कंसीडर करना चाहिए। पार्ट ऑफ दि कॉस्ट आफ आबियाना है, वह उन दो स्त्रोतों से ले लिया जाए और हरियाणा के किसान पर इसका बर्डन न डाला जाए। इसमें एक तो यह है कि सरकार किसान से मार्किट फीस लेती है। किसान जो फसल पैदा करता है, उसे बेचने के लिए वह बाजार में जाता है उसके बिकने पर सरकार उससे मार्किट फीस लेती है। वह फीस एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के खाते में जमा हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मार्किट फीस की रिकवरी होती है वह किसी और चीज से नहीं बल्कि किसान द्वारा उपजाई गई फसल का सीधा परिणाम है। किसान के खेत में कितनी फसल होगी वह यह बात निर्धारित करेगी कि उसके खेत में पूरा पानी मिलता है या नहीं ? इसी प्रकार नहरी पानी का सीधा संबंध मार्किट फीस की रिकवरी से भी है इसलिए नहरी आबियाने की सारी दर, नहरी प्रणाली आबियाने के आधुनिकीकरण पर सन् 2000 तक जो खर्च सालाना आएगा, उसमें से हरियाणा स्टेट ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड मार्किट फीस 50 प्रतिशत हिस्सा नहरी महकमे को दे ताकि उसका बोझ किसान पर न पड़े।

दूसरा यह है कि इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि नहरों और रजबाहों के दोनों तरफ जो जमीन है, उसमें वन विभाग ने पेड़ लगा रखे हैं। इसी प्रकार सड़क के साथ-साथ जो वन-विभाग

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

की जमीन है, वहां भी वन-विभाग के अधिकारियों ने पेड़ लगा रखे हैं। यह भी एक आम जानकारी की बात है कि खेतों के साथ सरकारी जमीन में जो पेड़ लगे हैं, उनसे किसान की फसल को, किसान की जमीन को नुक्सान पहुंचता है और इनमें से ज्यादातर पेड़ सफेदे के अर्थात यूकेलिप्टस के पेड़ हैं जो सबसे ज्यादा पानी खींचते हैं। नहर का पानी भी रजबाहों और नहरों के साथ रिसकर जाता है। उससे एक तो नैचुरल प्लान्टेशन ग्रो करता है, दूसरे जो किसान अपनी जमीन के अंदर पानी देता है, उसे वे पेड़ खींच रहे हैं जिससे किसान का भारी नुक्सान हो रहा है। यह एक दूसरी बात है जो किसान के हित से सीधे जुड़ी हुई है इसलिए वन-विभाग को प्लान्टेशन से जो आय होती है, उसका 50 प्रतिशत वन विभाग नहरी महकमे को दे। ऐसा करने से हरियाणा के किसान का आबियाना उत्तर प्रदेश या दूसरे अन्य प्रान्तों जहां 200-300 प्रतिशत ज्यादा आबियाना वसूला जाता है उसे हरियाणा में नहीं बढ़ाना पड़ेगा, उसका हरियाणा के किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मौजूदा सरकार इस बात पर बड़ी गम्भीरता से गौर करेगी। डिप्टी स्पीकर सर, मैं एक बात पर और जोर देना चाहूंगा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमें सात हजार से ज्यादा गांव हैं। इस कृषि प्रधान प्रदेश में आज अगर आम आदमी का जन-जीवन, चाहे वह किसान हो, चाहे वह व्यापारी है या किसी और धन्धे में लगा हुआ हो का सीधा संबंध कृषि से है। वह कृषि के साथ जुड़ा हुआ है और कृषि का सीधा संबंध पानी और बिजली से जुड़ा हुआ है। पानी और बिजली दो ऐसी चीजें हैं जो हरियाणा के आम आदमी की लाईफ लाइन हैं। डिप्टी स्पीकर सर, हिन्दुस्तान के अन्दर आज हरियाणा एक सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली प्रदेश है, क्योंकि इन दोनों चीजों के लिए हरियाणा राज्य में और अन्तर्राज्यीय स्तर पर बाद-विवाद के अन्दर फंसा हुआ है। आज हरियाणा की कोई भी सरकार पानी के बारे में कोई क्लीयर कट वाटर मैनेजमेंट पोलिसी नहीं बना पाई जो किसानों की जमीन को पानी दिला सके। स्पीकर सर, मैं आज हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इन मुद्दों को सुलझाने का सिलसिला आज भी लटका पड़ा है इससे पहले कई सरकारें आई और चली गई सत्ता पक्ष की सरकार आई, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और समता पार्टी की सरकार आई। लेकिन आज भी हरियाणा का आम आदमी इस हाउस के माननीय सदस्यों की तरफ टकटकी लगाये देखता है कि किस प्रकार से उनके मूलभूत मुद्दों को, जो पानी और बिजली से जुड़े हुए हैं यह हरियाणा का सदन हल कर पायेगा। मैं एस०वाई०एल० नहर बनाने के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर सर, एस०वाई०एल० नहर के मामले में आज हर्ष के साथ सभी पार्टियों के नेताओं ने एक जुट होकर फैसला किया है कि हम केन्द्र सरकार को इस नहर का निर्माण करने के बारे में कहेंगे।एस०वाई०एल०नहर का ऐसा मुद्दा है, जिसको राजीव-लौंगोवाल अकोर्ड के तहत सुलझा लिया गया था। एस०वाई०एल० नहर का निर्माण कार्य कांग्रेस पार्टी की नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू करवाया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरियाणा क्षेत्र में एस०वाई०एल० नहर का हिस्सा बनाकर कंप्लीट कर दिया था। लेकिन पंजाब सरकार द्वारा विवाद उठाने पर राजीव-लौंगोवाल अकोर्ड के तहत हरियाणा ने ट्रिब्यूनल में यह साबित कर दिया था और 1985-86 में इराडी कमीशन के सामने भी यह साबित कर दिया था कि घग्घर नदी जो सतलुज का हिस्सा है, उसमें हरियाणा का राईपेरियन राईट भी बनता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को देने की बजाए सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने और हाई कोर्ट के दो जजों ने यह माना कि हरियाणा को इस बात का हक है कि हरियाणा को एस०वाई०एल० नहर का 3.85 एम०ए०एफ० पानी मिले। हमने भी यह साबित किया कि यह हरियाणा का हक है। उपाध्यक्ष महोदय, आज की सरकार ने जो मुकदमा किया है,पहले वह कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज की सरकार तो उसको परस्यू कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस विषय को बहस में न लटकायें बल्कि कांग्रेस की

सरकार की तरफ से जो 3.85 एम०ए०एफ० पानी का हक साबित किया है, जो मामला आज लटका पड़ा है, जिसके कारण आज हरियाणा के आम किसानों को 200 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये का नुक्सान होने लग रहा है इसे जल्द से जल्द केन्द्र सरकार के साथ और पंजाब सरकार के साथ टेक अप करके सुलझवाये ताकि हरियाणा के आम आदमी को उसका हक मिले। आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की और अकाली दल की सरकार है और हरियाणा में भी हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबन्धन की सरकार है।उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। मैं आपके माध्यम से हाउस को विशेष तौर पर इस सदन के नेता से यह कहना चाहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा अवसर फिर नहीं आ सकता, आप हरियाणा के आम आदमी पर अहसान करें और एस०वाई०एल० कैनाल का मुद्दा जो हमेशा बहस का मुद्दा रहा है उनके साथ बात करके हल करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इराडी ट्रिब्यूनल के जरिये हरियाणा का हक साबित करके दिखाया था, इसलिए आप इसको सुलझाइए और इस पर अपने गुड ऑफिसिज का इस्तेमाल कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक और मुद्दा है जो गंगा का पानी भीमगौडा से नहर बनाकर लेकर लाने का है। वह मामला उत्तर प्रदेश के साथ अभी पैंडिंग है। आगरा कैनाल के साथ ही मसानी बैराज का मामला आज तक अंतर्राज्यीय मुद्दों के अंतर्गत पैंडिंग है। इसी प्रकार से दोहान नदी, कृष्णा नदी और साहबी नदी का मामला है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमें पानी की जरूरत होती है तब तो राजस्थान वाले पानी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब वहां पर फ्लड आ जाता है तो वे दक्षिणी हरियाणा में पानी छोड़ देते हैं ताकि उन सारे जिलों के अंदर त्राहि-त्राहि मच जाए और फसल बर्बाद हो जाए। यह बात आपको भी मालूम होगी और यह सर्वविदित भी है। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय राजस्थान में बी०जे०पी० की सरकार है। इसलिए हरियाणा में जो बी०जे०पी० की यूनिट है तथा हरियाणा विकास पार्टी की यूनिट है, उनकी मिली जुली सरकार है। इनको श्री भैरों सिंह शेखावत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, से सम्पर्क स्थापित करके, दक्षिणी हरियाणा की जो यह एक अहम समस्या है, इसका समाधान करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, 5 राज्यों का एक और बहुत बड़ा मामला था जो एक लम्बे समय से लटका हुआ था। आप जानते हैं कि हथनीकुंड बैराज आज से बीस साल पहले ही तोड़कर दुबारा बनाया जाना चाहिए था। इसका अब हरियाणा सरकार के पास कंट्रोल है। यह एक ऐसा मामला था जिसका हल पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार की इंटरवैंशन से, उस समय केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तथा जल संसाधन मंत्री श्री वी०सी०शुक्ला थे, की इंटरवैंशन से, हो पाया। यह हरियाणा राज्य के हितों से जुड़ा हुआ मामला था। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि जब तक हथनीकुंड बैराज के मामले का समझौता नहीं हुआ था तब तक उत्तर प्रदेश हरियाणा के हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में उन्होंने अलग से एक बांध बनाकर एक नदी बना रखी थी ताकि हरियाणा को खासकर गर्मी के समय में जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है, पानी न मिल सके। कांग्रेस की सरकार ने ही हथनीकुंड बैराज पर निर्माण कार्य शुरू करवाया था। सदन के नेता ने यह कहा है कि जल्द से जल्द उस कार्यक्रम को पूरा करवाएंगे। मैं और मेरा दल इस बात की उम्मीद करता है कि वे इसको पूरी अरनैस्टनैस व सीरियसनैस से लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज एक मुद्दा रखना चाहता हूं। हरियाणा में आज जिन जिन किसानों को आगरा कैनाल का पानी मिलता है, उसका उस क्षेत्र के किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित आबियाना की दर के हिसाब से आबियाना देना पड़ता है लेकिन हरियाणा के दूसरे किसान कम दर पर आबियाना देते हैं। क्या सरकार समस्त हरियाणा में बराबर दर पर किसानों से आबियाना लेने के लिए कोई सबसिडाइज्ड फार्मूला तैयार करने पर विचार करेगी। मेरे ही दल के माननीय सदस्य ने कहा था कि अगर हम आगरा कैनाल का पूरा रखरखाव नहीं कर सकते तो सरकार किसी ऐसी

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

प्रोपोज़ल को कंसीडर करे जिससे कि हरियाणा के किसानों की आगरा कैनाल से संबंधित समस्या कोई चैनल इत्यादि बनाकर हल हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर आपके माध्यम से आज की सरकार से तथा सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि एक ऐसी कंप्रिहैंसिव वाटर मैनेजमैंट पालिसी बनाई जाए ताकि सिर्फ आगरा कैनाल का मामला ही नहीं बल्कि इसी तरह के अन्य सभी मुद्दे जिनके साथ हरियाणा के हर आदमी का भला जुड़ा हुआ है, सुलझाए जा सकें। इसके लिए इफैक्टिव स्टैप्स लागू किए जाएं। धन्यवाद।

श्री रमेश कुमार (बड़ौदा-अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय सदन के अन्दर आगरा कैनाल की चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल का मुद्दा हरियाणा प्रदेश के किसानों की जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि हरियाणा के किसान नहरी पानी पर निर्भर हैं। हरियाणा प्रदेश के किसानों को नहरी पानी देने के मुद्दे को ले कर यह सरकार चुनाव जीत कर आई है। पानी के मुद्दे को ले करके इस सरकार ने विधान सभा में प्रवेश किया है। इस सरकार ने चुनावों के दौरान हरियाणा के किसानों को यह कहा था कि हम आपको पूरा नहरी पानी देंगे उसमें एस०वाई०एल० कैनाल का पानी भी आता है। आगरा कैनाल के पानी में हरियाणा प्रदेश का जितना हिस्सा है वह पूरा मिलना चाहिए जो इस समय हरियाणा के किसानों को नहीं मिल रहा है। इस समय आगरा कैनाल का रखरखाव उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। जब तक उसका कंट्रोल हरियाणा सरकार के हाथ में नहीं होगा तब तक हरियाणा के किसानों को उसका पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बताया था कि आगरा कैनाल से जिन किसानों की जमीन की सिंचाई होती है उसका आबियाना उत्तर प्रदेश सरकार को देना पड़ता है। यह मामला भी सुलझ जाए तो बहुत ठीक रहेगा। उससे किसानों को राहत भी मिलेगी। आगरा कैनाल औखला से निकलती है और उसके 11 चैनल्ज हैं और तीन डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के दक्षिणी एरिया को पानी नहीं मिलता। पहले भी दो तीन सीटिंग्ज हुई हैं उनमें चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बताया था कि रोहतक और सोनीपत जिलों का एरिया भी आगरा कैनाल के अंडर में आता है क्योंकि रोहतक और सोनीपत जिलों का एरिया ऐसा है जहां पानी काफी गहरा है और खारा भी है अगर आगरा कैनाल का पानी दक्षिणी हरियाणा को मिलेगा तो उससे उन किसानों को काफी फायदा होगा। उनको काफी राहत मिलेगी। दक्षिणी हरियाणा में आगरा कैनाल का पानी आएगा तो उसमें रोहतक और सोनीपत का एरिया भी आएगा। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी नहर की सफाई नहीं हुई है। अगर नहरों की सफाई ठीक समय पर नहीं हो पाएगी तो किसानों की फसलों की आबपाशी नहीं होगी। जैसे बुरटाना डिस्ट्रीब्यूटरी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय रमेश कुमार खटक जो दूसरी दफा विधायक बन कर आए हैं। ये मेरे दोस्त हैं। हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इनकी एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आगरा कैनाल का पानी रोहतक और सोनीपत जिलों में कैसे आएगा। ये आगरा कैनाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं आगरा कैनाल का फरीदाबाद जिले के साथ संबंध है इसलिए इनका धन्यवाद। आपने यह कैसे कह दिया कि आगरा कैनाल का पानी रोहतक और सोनीपत जिलों को मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल का पानी केवल फरीदाबाद जिले में और थोड़ा सा गुड़गांव जिले का मेवात का एरिया है जहां पर यह पानी जाना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए रमेश जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इसमें रोहतक और सोनीपत को शामिल न करें।

श्री रमेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात कृषि मंत्री जी की समझ में नहीं आई। मैं जमना नदी के बारे में जिक्र कर रहा था। अगर कृषि मंत्री जी मेरी बात को न समझ पाए तो मैं क्या करूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि किसानों को काफी तकलीफ होती है। उपाध्यक्ष महोदय आगरा कैनाल के बारे में उधर से यू०पी० टांग अड़ाती है और हरियाणा सरकार कहती है कि हम इसका पूरा पानी ले करके आएंगे। इनकी तरफ से एक बात यह भी कही गई कि हम ऋषिकेश से गंगा नहर का पानी करनाल तक लाएंगे लेकिन अब ये उस बारे में कोई जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। सरकार उस तरफ भी ध्यान दे ताकि किसानों को पूरा पानी मिले और किसानों को फायदा हो। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

12.00 बजे **श्री मनी राम** (डबवाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस गैर सरकारी प्रस्ताव पर जो सांगवान साहब, सोमवीर जी व हर्ष कुमार आदि ने रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव हरियाणा के किसानों के हितों से जुड़ा हुआ है। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसकी 70-80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इनका सोर्स आफ इन्कम खेती-बाड़ी ही है। गांव की जनता-भोली-भाली है। हरियाणा का आदमी बड़ा मेहनती है। यदि इसको पूरा पानी और पूरी बिजली मिल जाये तो यहां का किसान बहुत अच्छी पैदावार कर सकता है और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है। एस०वाई०एल० कैनाल का पानी भी हमें नहीं मिल रहा है और न ही भाखड़ा का पूरा पानी मिल पा रहा है। हरियाणा में अधिकतर जगहों पर जमीन के नीचे का पानी खारा है। जो टयूबवैल्ज लगे हुए हैं उनका पानी भी यानि जल स्तर काफी नीचे चला गया है। पानी नीचे से निकालना किसान को बहुत मंहगा पड़ता है क्योंकि बिजली भी हमारे यहां पर काफी मंहगी हो चुकी है। हमारे प्रदेश के किसानों की माली हालत बहुत खराब है जबकि यहां की जमीन बड़ी उपजाऊ है। यदि हरियाणा प्रदेश की जमीन को पूरा पानी मिल जाये तो बहुत अधिक पैदावार हर फसल की हो सकती है। खारे पानी से सिंचाई करने से जमीन खराब होती है। इसलिये हम चाहते हैं कि आगरा कैनाल के पानी में जो हिस्सा पानी का हमारा बनता है वह हमें बराबर मिलना चाहिए। हमें उस कैनाल के पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिलता इसीलिए हम इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इस नहर से हमें 780 क्यूसिक्स पानी मिलना चाहिए जो हमारा हक बनता है। यदि यह पानी पूरा मिल जाये तो मेवात का इलाका व दक्षिणी हरियाणा को काफी फायदा हो सकता है। इसलिए इस नहर के हैड बर्कस का कंट्रोल हमें लेना चाहिए। यू०पी० की सरकार के पास इसका कंट्रोल होने की वजह से हमें पूरा पानी नहीं मिल पाता। दूसरे आबियाना भी यू०पी० की सरकार ले जाती है। यदि हमें पानी समय पर पूरा मिल जाये तो हमारे यहां के किसान समय पर फसल बो सकते हैं और अच्छी पैदावार कर सकते हैं। हमारे पानी के कई इन्टरस्टेट मामले हैं। एस०वाई०एल० का मामला है, जमना-जल का मामला है। जमना जल के बारे में भजन लाल की सरकार ने जो समझौता किया वह हरियाणा के हितों के विरुद्ध किया। उस समझौते के बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब भजन लाल मुख्य मंत्री थे और नरसिंहराव प्रधानमंत्री थे तो भजन लाल को नरसिंहराव ने बुलाया और उनको एक गीदड़ धमकी दी तो उन्होंने फौरन उस समझौते पर साईन कर दिए यानि अपना अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाने से पहले भजन लाल ने न विपक्ष को, न अपने मंत्री मंडल को और न ही यहां की जनता को विश्वास में लिया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : इस जमना जल समझौते के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस समझौते के बनने से हरियाणा को फायदा ही हुआ है नुक्सान कोई नहीं हुआ। यहां पर हथनी कुंड बैराज बनने से जहां यहां पर 12000 से 14000 क्यूसिक्स पानी इकट्ठा होता था अब 27000 क्यूसिक्स पानी

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

इकट्ठा हो सकेगा जिससे हरियाणा को फायदा हुआ है। यह मामला अकेले हरियाणा सरकार का नहीं था इसमें 5 स्टेटस शामिल थीं। उस समझौते से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं हुआ है बल्कि फायदा ही हुआ है।

श्री मनी राम : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि कैप्टन साहब ने फरमाया हथनी कुंड बैराज तो ताजेवाला हैड का स्थान लेगा। ताजेवाला हैडवर्क्स के बाद हथनी कुंड बैराज तीन साल तक पूरा हो जाएगा। (विघ्न) ताजेवाला हैडवर्क्स की जगह हथनी कुंड बैराज जब ले लेगा तो उससे एक और दिक्कत हो जाएगी। अभी तक इस हैडवर्क्स का कंट्रोल हमारे हाथ में है लेकिन उसके कम्पलीट होने के बाद तो पांच स्टेट्स का इस पर ज्वायंट कंट्रोल हो जाएगा। अभी तो सर्दियों में जब बरसात कम होती है और पानी कम आता है तो हम वहां से पानी ले लेते हैं लेकिन जब वहां पर 5 स्टेट्स का कंट्रोल हो जाएगा तो वहां से पानी की कमी के वक्त पानी लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूं कि चौधरी भजन लाल जी वहां जा कर अंगूठा लगा आए। उस वक्त राजस्थान में, दिल्ली में बी०जे०पी० की सरकार थी। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग अन्न पानी तो हरियाणा की धरती का खाते हैं लेकिन राजस्थान और दिल्ली की स्पोर्ट करते हैं क्योंकि वहां पर इनकी सरकार है। (विघ्न) हमारी भाखड़ा नहर में 1200 क्यूसिक पानी की कैपेसिटी है लेकिन वहां इस समय 600-700 क्यूसिक पानी ही चलता है क्योंकि उसमें सिल्ट भरा पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि नहरों की सफाई करवाने पर इन्होंने चालीस लाख रुपया खर्च किया है। ये कहते हैं कि भाखड़ा नहर की पानी वहन करने की क्षमता बढ़ गई है। उसमें पानी चलने में बढ़ौतरी हुई है। लेकिन मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूं कि इसकी सफाई तो हुई नहीं है फिर इसकी क्षमता में बढ़ौतरी कैसे हो गई ? इसमें से सिल्ट नहीं निकाली गयी है इसलिए 1200 क्यूसिक की जगह उसमें मुश्किल से 600-700 क्यूसिक पानी चल रहा है। पानी कम वहन करने की क्षमता के कारण नहर में पानी कम है जिसकी वजह से टेल पर पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि सिल्ट निकाली नहीं गई है। उसमें सिल्ट भरी पड़ी है। मेरे हल्के डबवाली में डबवाली डिस्ट्रीब्यूटरी है, विचपड़ी माईनर, तेजाखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, चौटला डिस्ट्रीब्यूटरी, कालवाना माईनर झण्डावाला बड़ी नहर जो कि कच्ची है, उनकी सफाई नहीं हुई है जिस के कारण वहां टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि कनक की फसल किसान की ये पकाएंगे। मैं चौधरी साहब से यह जानना चाहूंगा कि यह गन्दम की फसल कैसे पकवाएंगे ? मैं दावे के साथ यह बात कह रहा हूं कि हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि गन्दम को पानी मिलेगा। चौधरी देवी लाल जी के राज में किसानों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, नहरों में काई जमते ही सफाई हो जाती थी जिससे किसान को राहत मिली थी। जब उसको अच्छी राहत मिली तो उसने अच्छी फसल भी पैदा की थी। जो अच्छी फसल किसान ने पैदा की थी उसका बहुत अच्छा भाव भी उसको मिला था जिसके कारण किसानों में खुशहाली आई थी। लेकिन उसके बाद किसान की हालत बद से बदतर हो गई है। अभी चौधरी साहब कह रहे हैं कि ड्रेनों की सफाई करवा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर सबसे बड़ी ड्रेन ड्रेन नं०-8 है। कान्ता देवी जी यहां पर बैठी हुई हैं। झज्जर उप-चुनाव के वक्त मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला था। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुरेती गांव, माजरा, हसन पुर, फतेह पुर आदि गांवों में इलैक्शन के दौरान जाने का मौका मिला था वहां पर सरकण्डा, झाड़ी आदि का इतना जंगल नहरों में उगा खड़ा है जैसे कि चम्बल की घाटी हो। झज्जर के चुनाव के बाद वहां पर कोई सुधार हो गया हो तो अलग बात है वरना ये सदन को गुमराह कर रहे हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान चौधरी बंसी लाल जी लोगों से

वायदा किया करते थे कि हरियाणा के लोगों को गंगा का पानी ला कर देंगे। कन्या कुमारी से बिजली ला कर देंगे। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे और बेरोजगारी भत्ता देंगे। पैट्रोल और गैस एजैन्सीज़ उनसे खुलवाएंगे। कीटनाशक दवाईयों की दुकानें खुलवाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने तो एक ही काम किया है और एक तोहफा दिया है। (घंटी) चौधरी साहब ने शराब बंदी करके सारे युवाओं को शराब बेचने के काम में लगा कर उनको एक तोहफा दे दिया है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मनी राम जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब आप वाईंड अप करें।

श्री मनी राम : मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। मनी राम गोदारा जी मिनिस्टर हैं कहते हैं कि पैसा नहीं है। "नानी खस्म करे, दोहता दण्ड भरे।" इसी तरह से कर्ण सिंह दलाल जी भी बीच बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं कि फलां सरकार के वक्त यह हुआ और फला सरकार के वक्त यह हुआ। भजन लाल ने यह कर दिया और चौधरी देवी लाल जी ने यह कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, ये मिनिस्टर हैं इनको इस तरह से बार बार बीच में खड़े होकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं। (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मनीराम जी आप बैठ जाएं आपका समय खत्म हो गया।

श्री मनी राम : * * * * * * * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री जय सिंह राणा (नीलोखेड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह प्रस्ताव जगदीश नैय्यर लेकर आए हैं। आगरा कैनाल के हैड का कंट्रोल सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। इसके साथ ही इसमें अपने हिस्से का पानी और बढ़ाने की बात भी है । उपाध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल के बारे में मैं पिछले 10 साल से लगातार देख रहा हूं। खासकर के दक्षिणी हरियाणा के विधायक इस बारे में मांग करते रहे हैं लेकिन आज तक कोई भी सरकार इस कार्य को पूरा नहीं कर पाई है। जिसकी बजह से वहां के किसान को बहुत नुक्सान उठाना पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। आज पानी के बिना खेती नहीं हो सकती है। पानी ही किसानों को सस्ता मिलता है। लेकिन हमारे प्रदेश में जिन नहरों से पानी आने के साधन हैं उन नहरों का कंट्रोल दूसरे प्रदेशों के हाथों में है। इसलिए हमें पूरा पानी नहीं मिलता है।आज हरियाणा में कोई भी नहर है वे दूसरे प्रदेशों से आती हैं। उनका कोई भी फैसला किसी भी स्तर पर नहीं हो सका है। जिस तरह से आगरा कैनाल का पानी जितना हमारे हिस्से का है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में न होने के कारण, उतना हिस्सा हमें नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। इसी तरह से एस०वाई०एल० कैनाल का पानी भी पता नहीं कब हरियाणा की धरती पर आएगा। जिसका यहां के किसान इंतजार कर रहे हैं। यह काम आज तक किसी सरकार द्वारा पूरा नहीं हो सका। चुनावों से पहले चौधरी बंसी लाल जी पूरी तरह से वायदे करते थे कि अगर हमारी सरकार बन गई तो मैं हरियाणा में एस०वाई०एल० का पानी लाऊंगा। आज इनकी सरकार को बने हुए नौ महीने हो गए हैं, इस मामले में इस सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। न ही कोई उम्मीद है कि ये पानी ला पाएंगे। मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि यह जो एस०वाई०एल० का पानी है जिसके लिए हरियाणा के सारे प्रदेश में नहर बनकर तैयार हो चुकी है और पंजाब में भी बन चुकी है लेकिन उसके हैड पर कोई कार्य नहीं

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री जय सिंह राणा]

हो रहा है।इसके लिए पूरी कोशिश करें। सारा प्रदेश इस कार्य के लिए सरकार के साथ है। पूरा सदन इस कार्य में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए। मैं सरकर से अनुरोध करूंगा कि नरवाना ब्रांच से जो पानी हरियाणा में आता है वह आज बहुत ही कम आ रहा है क्योंकि इसकी सफाई न होने की वजह से इसकी पानी आने की कैपेसिटी कम हो गयी है। इसके द्वारा जो हमारे हिस्से का चार हजार क्यूसिक्स पानी आना चाहिए, आज केवल 1800 क्यूसिक्स पानी ही उसमें आ रहा है। इसलिए इस कार्य को भी सरकार को पूरा करना चाहिए। उसकी कपैसिटी बढ़ाकर उसकी सफाई करवाकर पूरा पानी प्रदेश में लाना चाहिए ताकि किसानों की फसल सिंचित हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी वहां पर बैठे हैं वे मेरी बात को नोट कर लें क्योंकि किसानों को बड़ी भारी दिक्कत है। जब एस०वाई०एल० कैनाल और एन०बी०के० ब्रांच बनी थी उस समय किसानों की जमीनें भट्ठों के लिए ऐक्वायर की गयी थीं, आज यह मकसद पूरा हो चुका है क्योंकि ईटें बनाकर वहां पर नहरें पक्की कर ली गयी हैं इसलिए वह जमीन अब किसानों को वापस उसी रेट पर दे देनी चाहिए जिस रेट पर उनसे ली गयी थी। लेकिन अब उस जमीन पर वन विभाग द्वारा पौधे लगाने की योजना है। ऐसा नहीं होना चाहिए।(विघ्न) यह तो सारे इलाकों की बात है। सारी स्टेट की बात है। इसी तरह से वर्तमान सरकार ने चुनावों से पहले जो वायदा किया था कि हम गंगा का पानी भीमगोडा से एक नहर खोदकर सीधा करनाल में लाएंगे तो वह वायदा भी इस सरकार को पूरा करना चाहिए। मैं इस बारे में सरकार को याद दिलवाना चाहता हूं कि उसको अपना किया हुआ वायदा पूरा करना चाहिए और यू०पी० सरकार से इस बारे में बातचीत करके कोई समझौता करना चाहिए और गंगा का पानी हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए लाकर देना चाहिए। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह बात आपके इलाके से भी संबंधित है। उपाध्यक्ष महोदय, दादूपुर नलवी लाडवा सिंचाई स्कीम एक बहुत ही पुरानी योजना है जिसका अम्बाला, करनाल और कुरूक्षेत्र के किसानों को हमेशा इंतजार रहता है। परन्तु कभी भी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि इसके लिए यमुना का पानी चाहिए। जब यह योजना बनी थी उस समय यमुना में इतना पानी था कि इस नहर के द्वारा इन जिलों में उसका पानी आ सकता था। परन्तु बाद में चौधरी बंसीलाल जी एक सीधी आगमैन्टेशन कैनाल निकलवाकर भिवानी में ले गए जिसकी वजह से हमारी यह योजना पूरी नहीं हो सकी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि दादूपुर नलवी और लाडवा सिंचाई स्कीम पर वह ध्यान दे और इसको लागू करे।हमारे जो जिले हैं उन जिलों से उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी संबंध है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : भागी राम जी, आपको यह बात शोभा नहीं देती है आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं।

श्री जय सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी जगन्नाथ कह रहे हैं कि हमारे इलाकों में पानी पीने के लिए नहीं है तो यह कुदरत की बात है। कुदरत ने जो हमारे 4-5 जिले हैं उन पर मेहरबानी की है कि नीचे का पानी मीठा है। हम ट्यूबवैल लगाकर अगर बिजली भी सरकार न दे सके तो इंजन चलाकर अपनी भूमि को सिंचित करके अच्छी फसल उगाकर अच्छी रोटी खा सकते हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। भिवानी में अगर पीने का पानी नहीं है और नहरों के द्वारा वहां ले जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी है। भिवानी भी इस प्रदेश का हिस्सा है वहां भी पीने का पानी लोगों को मिलना चाहिए परन्तु मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि किसी के हकों को नहीं छीनना चाहिए। हमारे हक बरकरार रखे जाने चाहिएं ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कन्क्लूड करें।

श्री जय सिंह राणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। पिछली सरकार के समय इस सदन में दक्षिणी हरियाणा के साथ पानी के भेदभाव की बात हर बार उठती रही। कहा जाता था कि एक तरफ तो महीने में 21 दिन पानी चले और एक तरफ एक हफ्ते भी पानी नहीं मिलता यह बड़ा भारी भेदभाव है। इस भेदभाव को दूर करने के लिए सदन में बड़ी भारी आवाज उठाई गई। आज के सदन के नेता ने पूरा विश्वास दिलाया है और विशेष रूप से दक्षिणी हरियाणा के लोगों को विश्वास दिलाया है कि इस भेदभाव को मैं दूर करूंगा और दक्षिणी हरियाणा के हिस्से का एक-एक बूंद पानी उन्हें लाकर दूंगा परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा अनुरोध है कि वे अपने इस वादे को याद करें और दक्षिणी हरियाणा के लोगों के साथ किए गए वादे को निभाएं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आनन्द कुमार शर्मा (बल्लभगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जगदीश नैय्यर जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि जिला फरीदाबाद की बहुत पुरानी मांग जो कि वर्षों से इस सदन में और सदन से बाहर भी माननीय सदस्यों द्वारा उठाई जाती रही है आज वह पूरी होने जा रही है। उसके लिए प्रस्ताव हमारे सामने है। मैं आगे चर्चा करने से पूर्व थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। कल चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने चर्चा के दौरान कहा कि जब हरियाणा का हिस्सा पंजाब में शामिल था तो इस हिस्से को पंजाब में रहते हुए बहुत कम विकास के लिए पैसा मिलता था। 1966 में जब हरियाणा बना उससे पहले जितना पैसा इस क्षेत्र से लगान के रूप में वसूल होता था उसमें से इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कम पैसा दिया जाता था। शुरू-शुरू में जब हरियाणा बना तो उस समय यहां पर कोई स्थाई सरकार नहीं बनी थी। लेकिन जैसे ही चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली तो हरियाणा में दिन दुगनी रात चौगुणी प्रगति शुरू हो गई। उन 8-9 सालों में हरियाणा में इतनी प्रगति हुई कि हरियाणा का हर क्षेत्र सड़कों से जुड़ गया और हरियाणा के हर क्षेत्र में बिजली पहुंच गई। लेकिन बाद के 21 सालों में अन्य लोगों ने जो सरकार में रहे, मैं समझता हूं उन्होंने हरियाणा की प्रगति में कुछ भी योगदान नहीं किया। अब हरियाणा विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन की सरकार सत्ता में आई है और पुनः चौधरी बंसीलाल जी जिन्हें हरियाणा का निर्माता कहा जाता है उनके नेतृत्व में ही आज हम सत्ता में बैठे हैं। मुझे बड़ा फख्र है कि चौधरी बंसीलाल जी के सत्ता में रहते हुए यह प्रस्ताव आ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने आगरा नहर का प्रशासकीय नियंत्रण अपने हाथों में लेने की पहल की है। मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से और फरीदाबाद और गुड़गांव के लोगों की तरफ से बधाई देता हूं जो इस नहर से जुड़े हुए हैं। उनको इसका नियंत्रण अपने हाथ में लेने से फर्क पड़ने जा रहा है। इस नहर से फरीदाबाद जिले की 40 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित हो रही थी लेकिन उसका प्रशासकीय नियंत्रण हरियाणा सरकार के हाथ में लेने से और अधिक भूमि सिंचित होगी। उसका नियंत्रण हरियाणा के हाथ में होने से इस इलाके के किसानों की मुख्य समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। यह हमारा एक चुनावी वायदा भी था। इसके साथ साथ मैं आगरा नहर के पानी की मात्रा बढ़ाने की भी गुजारिश करूंगा। मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि जहां ऐसा करने से राज्य की सिंचित की जाने वाली भूमि का प्रसार बढ़ेगा वहीं राष्ट्रीय उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी। सभी रजबाहों की टेल तक पानी पहुंचेगा। जोकि अभी तक नहीं पहुंचता था। रजबाहे ऐसे ही सूखे पड़े रहते थे। इससे किसानों को भारी मदद मिलेगी। उन किसानों को भी भारी मदद मिलेगी जिनकी आबपाशी नहरी पानी पर

[श्री आनन्द कुमार शर्मा]

ही निर्भर करती थी, जिनके पास आबपाशी का और कोई साधन नहीं था। छोटे-छोटे किसानों, गरीब किसानों को ट्यूबवैल्ज लगाने में भी मदद मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात ओर कहना चाहता हूं कि इस आगरा नहर का प्रशासकीय नियंत्रण अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव तो आप पास कर देंगे लेकिन मुझे इसके बाद भी एक कमी महसूस हो रही है और वह यह है कि इस क्षेत्र के किसानों को कुलाबा लेने के लिए चार-पांच साल तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी आगरा, कभी मथुरा, उसके बाद भी कुलाबा नहीं मिल पाता। मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि वे कुलाबा का काम भी अपने हाथ में लें ताकि रजबाहों की सफाई का काम सुचारू रूप से हो सके। ऐसा करने से किसानों की आबपाशी बढ़ेगी क्योंकि यह किसानों की ऐसी समस्या है जो किसानों के हित से जुड़ी हुई है। हमने जब से होश संभाला है तब से उस नहर की सफाई नहीं हुई है। उस की सफाई न होने की वजह से पानी बहुत कम मात्रा में आगे पहुंच पाता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि उसकी सफाई का भी प्रबंध करें। उसकी सफाई के लिए कुछ रुपये की व्यवस्था कराएं। इसके साथ ही साथ जो रजबाहे उससे निकलते हैं, जो छोटी छोटी नहरें उससे निकलती हैं, उनकी सफाई का भी प्रबंध करें, उनकी सफाई की भी आवश्यकता है। उन सब को साफ करने से तथा उस नहर को परोपरली मेनटेन करने से तकरीबन डेढ़ लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। अभी जो जमीन सिंचित हो रही है इसमें और उसमें 3 गुना का फर्क है। इसलिए उसकी सफाई करने का एक बहुत ही लाभकारी और बहुत ही अच्छा कदम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक समस्या और है कि उन रजबाहों पर जो पुल बने हुए हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव में आने जाने की सुविधा के लिए हैं या गांव के किसानों के खेतों में आने जाने के लिए हैं, वे टूटे हुए हैं। जिसके कारण आने-जाने में किसानों को बड़ी असुविधा होती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन पुलों की भी मरम्मत की जाए ताकि किसानों को असुविधा न हो। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, पानी का कंट्रोल हमारे हाथ में न होने से भी बड़ी भारी समस्या है। जब हमें पानी की आवश्यकता होती है तो पानी नहीं मिलता है। इसके विपरीत जब आवश्यकता नहीं होती है तो वे लोग पानी इधर छोड़ देते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि पानी का कंट्रोल भी हम लोग अपने ही हाथ में लें और अपनी सुविधानुसार पानी का इस्तेमाल करें। उपाध्यक्ष महोदय, प्रहलादपुर डिस्ट्रीब्यूटरी आगरा कैनाल से निकलती है। उसमें इस बार हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार पानी पहुंचा है वरना आज तक उसमें कभी भी पानी नहीं आया। यह एक बड़े फख्र की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आईंदा भी इस प्रहलादपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी बराबर चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त, जो पानी आगरा कैनाल में चल रहा है, उसमें दिल्ली की तमाम छोटी छोटी यूनिटों और फैक्ट्रियों का गंद आ रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसमें जो गंदा पानी आ रहा है, चाहे वह ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर डालें या फैक्ट्री वाले जैसे भी करें, साफ पानी उसमें डाला जाना चाहिए। वह पानी गंदा होने के कारण न तो पशुओं के पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है और न ही मनुष्यों के पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बचपन में जब हम उस नहर पर खेलने जाया करते थे तो मुझे याद है कि पानी इतना साफ होता था कि सिक्का भी पानी में डाल देते थे तो हम सिक्का ढूंढ लेते थे। लेकिन आज उसकी हालत बिल्कुल बदतर हो गई है क्योंकि उसमें गंदा व खराब पानी आ रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसके पानी में जो गंदगी डाली जा रही है, उसकी रोकथाम की व्यवस्था की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की मुझे खुशी होती है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो रामपुर डिस्ट्रीब्यूटरी पड़ती है उसके लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये दिये हैं। उस पर काम भी शुरू कर दिया है।

इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का बहुत आभारी हूं और हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। अभी चर्चा के दौरान कई माननीय साथी लॉ एण्ड आर्डर की बात करते थे। (विघ्न) मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जिला फरीदाबाद में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इतनी बेहतर पहले कभी भी नहीं थी जितनी आज है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आगरा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की पहल की है। मुख्य मंत्री जी उसका सम्पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे ऐसी मेरी आशा है।

श्री बंता राम बाल्मिकी (रादौर, अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, इस हाउस के सम्मानित सदस्यगणों की ओर से आगरा कैनाल के हैड वर्कस का कंट्रोल हरियाणा सरकार के हाथ में लेने के बारे में एक प्रस्ताव लाया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बड़ा अहम मुद्दा है। यह मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के देहात में 85 फीसदी लोग बसते हैं जो धरती माता की छाती चीर कर अन्नदाता को जन्म देते हैं। इस बात को सभी मानते हैं कि देश और प्रदेश की समृद्धि गांवों और खेतों से गुजर कर जाती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे एक बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है कि आगरा कैनाल में हरियाणा का 782 क्यूसिक्स पानी का हिस्सा बनता है फिर भी हरियाणा के किसानों की धरती प्यासी रहती है। हरियाणा की धरती को पानी नसीब नहीं होता। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, मुझे एक बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि दूध की रखवाली बिल्लियां यानि आगरा कैनाल का कंट्रोल उत्तर प्रदेश के हाथ में है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसका कंट्रोल हरियाणा सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। स्पीकर साहब, पश्चिमी जमना नदी हमारे रादौर क्षेत्र से हो कर गुजरती है उसमें गाद बहुत ज्यादा हो जाती है और उस गाद से वहां पर प्रदूषण बहुत फैल जाता है। उस प्रदूषण से कस्बे में बीमारी फैलती है। स्पीकर साहब, हाउस में सारे सम्मानित सदस्य बैठे हैं मैं इनके बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रादौर एक ऐसा कस्बा है। जहां पर सीवरेज सिस्टम का प्रावधान नहीं है। यह मैं मानता हूं कि वहां पर सीवरेज सिस्टम का प्रावधान इसलिए नहीं है क्योंकि वह सुरक्षित हल्का है।

श्री अध्यक्ष : बंता राम जी आप आगरा कैनाल के रैजोल्यूशन पर बोलें।

श्री बंता राम बाल्मिकी : स्पीकर साहब, जिस तरह से आगरा कैनाल के साथ किसान जुड़े हुए हैं उसी तरह से जमना नदी के साथ किसान जुड़े हुए हैं। जमना नदी में गाद आने से रादौर कस्बे में प्रदूषण फैलता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी सफाई कराई जाए। स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मंत्री जी हरियाणवीं अंदाज में एक बात बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि मेरा नाम बंसी लाल है जो कहता हूं वह करता हूं। स्पीकर साहब, दादुपुर नलवी नहर को बनाने के बारे में हर स्टेज पर हर सभा में जिक्र आता था कि उसको बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष : आप विषय से हट कर न बोलें आप आगरा कैनाल के रैजोल्यूशन पर ही बोलें।

श्री बंता राम बाल्मिकी : स्पीकर साहब, यह बड़ा अहम मुद्दा है। मैं दादुपुर नलवी नहर की बात कर रहा हूं। जैसे बिजली पानी की बात है वैसे ही दादुपुर नलवी नहर की बात है। यह नहर भी किसानों से जुड़ी हुई है। मैं कहता हूं कि वह नहर बनाई जाए ताकि वहां के किसानों की प्यासी धरती को पानी मिले। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि दादुपुर नलवी नहर को बनाने का काम आगरा कैनाल के साथ ही जोड़ा जाए। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार पर एक आरोप लगाता हूं कि रादौर कस्बे में सीवरेज सिस्टम का प्रावधान इसलिए नहीं है क्योंकि वह एक सुरक्षित हल्का है। सीवरेज का ठीक

[श्री बंता राम वाल्मिकी]

सिस्टम न होने की वजह से भी प्रदूषण फैलता है। हमारे शहीर कस्बे में सीवरेज सिस्टम अभी तक नहीं है। (विघ्न) मैं आगरा कैनाल का जो प्रस्ताव आया है उसका तो समर्थन करता ही हूं। यह हरियाणा के हितों से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए हरियाणा सरकार को उत्तर प्रदेश से इस आगरा कैनाल के हैड का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। धन्यवाद।

श्री मनीराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ बातें और कहनी थीं, आप मेहरबानी करके मुझे और टाईम दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप बोलें।

श्री मनीराम : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे दुबारा बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।बंसी लाल जी यहां पर कई जगह भाषण देते हुए कहा करते थे कि मैं गंगा जी का पानी यहां पर ले आऊंगा। शिवजी की जटाओं का पानी वहां से लेकर आऊंगा। इसी तरह से ये शराबबंदी की बात करते थे।

श्री अध्यक्ष : मनीराम जी आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है आप कुछ भी बोलिये। आपको खुली छूट है। लेकिन बैठने के बाद आपको चुप करके बैठना है।

श्री मनीराम : अध्यक्ष महोदय, यदि देश के नेता से कोई गलत काम होता है तो उसका नुकसान सारे देश को भुगतना पड़ता है और यदि स्टेट के नेता से कोई गलत काम होता है तो उसका नुकसान सारे प्रदेश को भुगतना पड़ता है। चौधरी बंसी लाल जी के बारे में मैं जो बात कह रहा हूं वह कोई द्वेषभावना के रूप में नहीं कहना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने एस०वाई०एल० कैनाल हरियाणा में तो बना दी लेकिन जहां से यह नहर बननी चाहिए थी, वहां से नहीं बनाई जो कि एक काफी बड़ी भूल इनकी रही है। हमारे पास इस वक्त तक आगरा कैनाल का भी कब्जा नहीं है। हमें उसका कब्जा मिलना चाहिए। उसका कंट्रोल लेने के लिए कई मीटिंग हो चुकी हैं लेकिन अब तक कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया है। इस नहर से हरियाणा को 782 क्यूसिक्स पानी मिलना चाहिए जबकि बड़ी मुश्किल से 300 क्यूसिक्स पानी मिल पाता है। इसी प्रकार से आबियाना भी इसका यू०पी० की सरकार लेती है। वह हमारे यहां जो रेट है उससे ज्यादा है। इसका भी खामियाजा यहां के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरे जो मुकदमे हो जाते हैं उनको सुलटाने के लिए यहां के किसानों को आगरा और मथुरा तक जाना पड़ता है। इससे किसान का समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी खराब होता है। जमना जल समझौता है या एस०वाई०एल० कैनाल का मामला है या और ऐसे कई मामले हैं जो इन्टर स्टेट मामले हैं। हमारी मांग तो यही है कि हमें इन्साफ मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह था कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। बंसी लाल जी से भी कई गलत काम हुए हैं। इनके ऊपर इंदिरा गांधी का हाथ था और उन्होंने अपने यहां पर तो एस०वाई०एल० नहर बनवा दी लेकिन जहां से यह शुरू होनी चाहिए थी, वहां से शुरू नहीं करवाई जिस के कारण इसका पानी आज तक हमें नहीं मिल पाया। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या गंगा का पानी उल्टा पहाड़ों पर जायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक पंजाब के एरिया से यह नहर नहीं बन जानी थी तब तक आगे बनाने का सवाल ही नहीं होना चाहिए था। इसी प्रकार की गलती भजन लाल ने जमना जल समझौता करके की। अपना पानी राजस्थान और दिल्ली को दे दिया। जब तक हमें अपना पूरा पानी नहीं मिलेगा तब तक हम अपना पालन-पोषण कैसे कर पायेंगे। जब तक हमें बिजली सस्ती नहीं मिलेगी तब तक कैसे हम अधिक पैदावार कर पाएंगे।ऐसा कोई दरिया नहीं

निलकता है जहां से नहर निकाल कर हम पानी ले लें और अपनी धरती की सिंचाई कर लें। सारे दरिया पंजाब और उत्तर प्रदेश की धरती से निकलते हैं इसलिए हम उनके मोहताज है। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि 40 लाख रुपये खर्च करके नहरों की सफाई करवाई है। मैं आपकी मार्फत हाउस को बताना चाहता हूं भाखड़ा नहर की कैपेसिटी 1200 क्यूसिक्स है लेकिन उसमें केवल 600-700 क्यूसिक्स पानी चलता है जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। यदि एक बर्तन की कैपेसिटी 20 लीटर की है और उसमें 5 लीटर तक गाद भरी हो तो उस बर्तन की क्षमता तो केवल 15 लीटर पानी की रह जाएगी। मैं अपने हल्के की माईनर्ज और डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसा खेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, की चर्चा करना चाहता हूँ। डबवाली डिस्ट्रीब्यूटरी, कालांवाली डिस्ट्रीब्यूटरी, चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी, की टेल तक पानी नहीं पहुंचा है यह बात मैं दावे के साथ कहता हूं। (विघ्न) नहरों की कोई सफाई नहीं करवाई गई है। स्पीकर सर, चौधरी देवी लाल जी के समय में किसानों को पूरी बिजली और पूरा पानी मिला था जिससे किसानों ने बहुत अच्छी फसलें पैदा की थीं। उनको जिन्स का भाव भी बहुत अच्छा मिला था जिसकी वजह से उस समय किसान को थोड़ी राहत की सांस मिली थी और वह कुछ खुशहाल हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान जो वायदे इन्होंने जनता के साथ किए थे उन वायदों को पूरा किया जाना चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं तथा मुझे बोलने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा (किलोई) : स्पीकर सर, आगरा के बारे में दो माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें सरकार की बड़ी-बड़ी उपलब्धियां बताई गई हैं, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं बल्कि ढकोसला मात्र हैं। पिछले करीब 35-36 सालों से उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार का आपस में झगड़ा है ताजेवाला हैडवर्क्स का कब्जा लेने के लिए। यह क्या उपलब्धि है कि नहर की सफाई तो करेगी हरियाणा सरकार और आबियाना लेगी उत्तर प्रदेश सरकार। अध्यक्ष महोदय, ये उस सरकार से आबियाना माफ करने की बात करते उत्तर प्रदेश से ताजेवाला हैडवर्क्स का कब्जा लेने की बात करते तो कोई उपलब्धि होती लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की नहर की सफाई करवाने के समझौते से हरियाणा के हितों को नुक्सान हुआ है। इससे हरियाणा के किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश का पैसा दूसरे प्रदेश में जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी सर छोटू राम जी के जन्म दिन के अवसर पर रोहतक गए थे। वहां पर इन्होंने कहा था कि 99 टेलों में से 97 टेलों तक इस सरकार ने पानी पहुंचा दिया है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आधी टेलों पर भी पानी नहीं पहुंचा है। (विघ्न) मेरे हल्के में बनार टेल पर सिर्फ एक बार पानी गया है, आसन टेल और भालोट टेल पर पानी नहीं गया है। और भी कई ऐसी टेल्ज हैं जहां पर पानी नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप विषय पर रह कर ही बोलें विषय से बाहर मत जाएं।

श्री सिरी कृष्ण हुड्डा : स्पीकर सर, बीरेन्द्र सिंह जी ने बोलते हुए एक सुझाव दिया था कि एक पैरलल नहर बनाई जाए और इस के लिए हरियाणा सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करे। जब एस०वाई०एल० नहर बनवाई गई थी तो वह पंजाब से शुरू न करके हरियाणा से शुरू करवा दी गई थी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार से कोई समझौता होता है तो वह नहर उत्तर प्रदेश की तरफ से नहर बनवाएं न कि पहले की तरह हरियाणा की तरफ से उस नहर को बनवाना शुरू कर दें। पहले वाली गलती को दोहराएं नहीं जैसा कि एस०वाई०एल० के समय में हुआ था। स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आशा भी करता हूं कि वे शायद अब इस तरह के निर्देश नहीं देंगे। स्पीकर सर, अप्टा हैड से 4 ब्रांचें निकलती हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस बात को नोट करें। मेरे पास

[श्री सिरी कृष्ण हुड्डा]
सबूत है जो रोहतक के अन्दर कार्यकारी अभियन्ता बैठे हैं उन्होंने लिखित आदेश दिया है। वहां के किसानों के साथ बहुत कुठारघात हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसी बात चौधरी बंसी लाल जी की नौलेज में हो और वह हो जाए। ये कोई गलत काम नहीं होने देंगे। वहां के एस०सी० ने तार करके कहा है कि रोहतक वालों का पानी बंद कर दो। अध्यक्ष महोदय, ऐसा करके वहां के किसानों के साथ कुठारघात हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, आप आगरा कैनाल के बारे में तैयार हो कर नहीं आए हैं। आप विषय से अलग होकर बोल रहे हैं इसलिए आप बैठ जाएं। श्री जगबीर सिंह जी आप बोलें।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : अध्यक्ष महोदय, यह जो आगरा कैनाल का प्रस्ताव सदन में रखा गया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ है।

श्री बीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जो भी आदेश देंगे हम उनकी पालना करेंगे और करते भी रहे हैं। पहले और अभी नॉन-आफिशियल डे वाले दिन भी कृष्ण हुड्डा और इनके अलावा और भी कई मैम्बर इस पर चर्चा करते हुए अपने हल्के की बात कह रहे थे लेकिन अभी आपने मना कर दिया और कहा कि चायंट पर ही बोलें । अध्यक्ष महोदय, यह जो पाबन्दी आपने हुड्डा साहब पर लगाई है तो यही पाबन्दी आप बाकी मैम्बर्ज पर भी लगाएं। हम आपसे यही चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। अब आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह जो आगरा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का प्रस्ताव इस सदन में आया है आपने उस पर मुझे बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार 10 महीने पहले चौधरी बंसी लाल जी के नेतृत्व में वजूद में आई थी और इस सरकार ने सिंचाई विभाग की उन्नति के लिए जो काम इन दस महीनों में किए वे आपके सामने आए हैं।अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1033 टेल्ज ऐसी थीं जिनमें से पिछली सरकार के समय केवल 350 टेल्ज पर भी पानी नहीं पहुंच रहा था। केवल कुछ ही टेल्ज पर पानी पहुंच रहा था लेकिन आज 94 परसेंट टेल्ज पर पानी पहुंच रहा है। मेरे हल्के के अंदर 15 गांव ऐसे थे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप केवल आगरा कैनाल के ऊपर ही बोलें।

श्री जगबीर सिंह मलिक : मैं इसी पर बोल रहा हूं।

श्री बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास आगरा कैनाल के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो मैं सदन के समक्ष एक रैजोल्यूशन रखना चाहता हूं ।आप इसके लिए हाउस की कन्सैन्ट ले लें।

सरकारी संकल्प-

अन्तर्राज्यीय मामलों से संबंधित

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received an official resolution regarding territorial issue today. I submit a proposal before this August House

that the official resolution may be taken up immediately with the sense of this august House before the completion of non official business fixed for today. I put this proposal before the House to approve it.

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : अब मुख्य मन्त्री जी प्रस्ताव पेश करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों इसी सत्र में पंजाब के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चण्डीगढ़ और पंजाबी स्पीकिंग एरियाज एवं हरियाओं के पानी का जिक्र किया गया है। हमने भी इसके बारे में विचार किया और हमने इस बारे में दूसरी बार मीटिंग की। उस मीटिंग में जो जो मौजूद थे उनके नाम इस तरह से हैं- श्री मनी राम गोदारा, श्रीमती कमला वर्मा, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला, श्री धीरपाल सिंह, सरदार जसविन्द्र सिंह, चौधरी भजन लाल, श्री बीरेन्द्र सिंह, चौधरी खुर्शीद अहमद, श्री कैलाश चन्द्र शर्मा (नारनौल) और श्री अनिल विज। हम सबने बैठकर हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए सुनामीमसली सबकी एक राय से एक प्रस्ताव तैयार किया है जो मैं इस सदन के सामने पेश कर रहा हूं। प्रस्ताव इस तरह से है-

It is unfortunate that the Hon'ble Governor, Punjab, in his address to the Punjab Vidhan Sabha on 5-3-1997, while referring to inter-State matters has stated as follows:-

"My Government demands the immediate transfer of Chandigarh to Punjab. It also demands the inclusion into Punjab of the Punjabi speaking areas left out of the State, settlement of Punjab's claims on river waters on the basis of Riparian principle."

The Members of the Haryana Vibhan Sabha strongly feel that unfair and unjust treatment was in fact meted out to the State and the people of Haryana in the matter of sharing of territory and water after the re-organization of the erst-while State of Punjab. The Punjab Boundary Commission headed by Justice J.C.Shah, in his Award dated 31-5-1966 had recommended that :-

"(1) (i) The districts Simla, Kulu, Kangra, Lahaul-spiti;

(ii) Development Blocks Gagret Amb and Una (excluding the villages Kherabagh Sampur, Bhabhaur and Kalesh and village Kosri fromTehsil Una (Distt. Hoshiarpur);

(iii) Tehsil Nalagarh (Distt. Ambala); and

(iv) Enclaves Dalhousie,Balun and Bukloh in Chamba District which are hill areas and have cultural affinity with the people of Himachal Pradesh should be merged with Himachal Pradesh.

(2) That District Gurdaspur (excluding Dalhousie, Balun and Bukloh). Amritsar, Kapurthala, Jallunder, Ferozepur, Bhatinda, Patiala, Ludhiana and Tehsils Barnala, Malerkotla and Sangrur (Distt. Sangrur), Tehsil Rupar (Distt. Ambala), Tehsils Dasuya, Hoshiarpur and Garshankar and Development blocks Anandpur, Nurpur Bedi

[Shri Bansi Lal]

and villages Kherabagh, Samipur, Bhabhaur and Kalesh from Una block and village Kosri in Una Tehsil will form the Punjabi-speaking State ; and

(3) That District Hissar, Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak and Karnal and Tehsils Narwana and Jind (District Sangrur) and Tehsil Kharar (including Chandigarh Capital Project), Naraingarh, Ambala and Jagadhari will form the Hindi- speaking State.

Adjustments of the boundaries of the three States should be made on the division of territory as set out."

13-00 बजे As a matter of general policy Government of India had been accepting the reports of the Boundary Commissions in toto. But a departure was made in this case and fair and just recommendations of the Shah Commission based on principle of equity were arbitrarily over-ruled and the Kharar Tehsil including the Chandigarh Capital Project was not given to Haryana. The members of the Haryana Vidhan Sabha unanimously resolve that the long standing injustice to the State and the people of Haryana should be set right by Government of India forthwith and the recommendations of the Shah Commission should be implemented in toto by them.

In sharing of water even greater injustice has been done to Haryana. On principle of equity Haryana should have received a predominant share of the surplus waters of Ravi-Beas rivers considering the much lower intensity and area under irrigation in the State as compared to Punjab. The Riparian principle which finds mention in the address of the Governor of Punjab to the Punjab Vidhan Sabha is not relevant in the present context. Haryana being a successor State of erstwhile State of Punjab, has equal rights over the waters of Ravi-Beas rivers, and Punjab State cannot claim exclusive rights over these waters. River waters are, in any case, a national asset and their use cannot be restricted to the boundaries of any particular State. Such waters must be distributed in an equitable manner among the basin States.

After affording due opportunity of being heard to both States, the Central Government in exercise of the powers conferred by section 78 (1) of the Punjab Re-organisation Act, 1966, had determined their shares as follows 24-3-1976 :

"Taking note of the facts that Haryana has large arid tract and also several drought prone areas and the present development of irrigation in the State of Haryana is substantially less as compared to that in the State of Punjab, and further taking into consideration that comparatively large quanity of water is needed for irrigation in the State of Haryana and there is limited availability of water from other sources in the State, the Central Government hereby directs that out of the water which would have become available to the erstwhile State of Punjab on completion of the Beas Project (0.12 MAF whereof is earmarked for Delhi Water supply), the State of Haryana will get 3.5 MAF and the State of

Punjab will get remaining quantity not exceeding 3.5 MAF when further conservation works on the Ravi are completed..."

This decision which was based on an availability of 15.85 MAF ought to have been implemented in toto and any subsequent agreement or adjudication was not called for as these have done injustice to the cause of Haryana. Since the total availability of waters is now higher, any additional waters above 15.85 MAF should also come to the share of Haryana. This House earnestly urges the Government of India to take all steps to get this decision dated 24-3-1976 implemented in letter and spirit.

Satluj Yamuna Link Canal is lifeline for the State and people of Haryana and it should have been completed years ago. It is unfortunate that work on this Project stopped in the year 1990 and has not been resumed so far resulting in incalculable national loss as well as direct loss to the people of Haryana. This House resolves that Government of India may get the remaining portion of SYLCanal completed immediately by entrusting it to a Central Agency and the canal be got commissioned within a period of six months on war footing.

अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये आनरेबल मैम्बर्ज से मेरी प्रार्थना है कि हम सब पार्टियों के नेताओं से मिलकर सुबानिमसली यह रैजोल्यूशन लाये हैं इसलिए इसको बगैर बहस किये पारित कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved that —

It is unfortunate that the Hon'ble Governor, Punjab, in his address to the Punjab Vidhan Sabha on 5-3-1997, while referring to inter-State matters has stated as follows:-

"My Government demands the immediate transfer of Chandigarh to Punjab. It also demands the inclusion into Punjab of the Punjabi speaking areas left out of the State, settlement of Punjab's claims on river waters on the basis of Riparian principle."

The Members of the Haryana Vibhan Sabha strongly feel that unfair and unjust treatment was in fact meted out to the State and the people of Haryana in the matter of sharing of territory and water after the re-organization of the erstwhile State of Punjab. The Punjab Boundary Commission headed by Justice J.C.Shah, in his Award dated 31-5-1966 had recommended that :-

"(1) (i) The districts Simla, Kulu, Kangra, Lahaul-spiti;

(ii) Development Blocks Gagret Amb and Una (excluding the villages Kherabagh Sampur, Bhabhaur and Kalesh and village Kosri fromTehsil Una (Distt. Hoshiarpur);

(iii) Tehsil Nalagarh (Distt. Ambala); and

(iv) Enclaves Dalhousie,Balun and Bukloh in Chamba District which are hill areas and have cultural affinity with the people of Himachal Pradesh should be merged with Himachal Pradesh.

[Mr. Speaker]

(2) That District Gurdaspur (excluding Dalhousie, Balun and Bukloh), Amritsar, Kapurthala, Jullunder, Ferozepur, Bhatinda, Patiala, Ludhiana and Tehsils Barnala, Malerkotla and Sangrur (Distt. Sangrur), Tehsil Rupar (Distt. Ambala), Tehsils Dasuya, Hoshiarpur and Garshankar and Development blocks Anandpur, Nurpur Bedi and villages Kherabagh, Samipur, Bhabhaur and Kalesh from Una block and village Kosri in Una Tehsil will from the Punjabi-speaking State ; and

(3) That District Hissar, Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak and Karnal and Tehsils Narwana and Jind (District Sangrur) and Tehsil Kharar (including Chandigarh Capital Project), Naraingarh, Ambala and Jagadhari will form the Hindi- speaking State.

Adjustments of the boundaries of the three States should be made on the division of territory as set out."

As a matter of general policy Government of India had been accepting the reports of the Boundary Commissions in toto. But a departure was made in this case and fair and just recommendations of the Shah Commission based on principle of equity were arbitrarily over-ruled and the Kharar Tehsil including the Chandigarh Capital Project was not given to Haryana. The members of the Haryana Vidhan Sabha unanimously resolve that the long standing injustice to the State and the people of Haryana should be set right by Government of India forthwith and the recommendations of the Shah Commission should be implemented in toto by them.

In sharing of water even greater injustice has been done to Haryana. On principle of equity Haryana should have received a predominant share of the surplus waters of Ravi-Beas rivers considering the much lower intensity and area under irrigation in the State as compared to Punjab. The Riparian principle which finds mention in the address of the Governor of Punjab to the Punjab Vidhan Sabha is not relevant in the present context. Haryana being a successor State of erstwhile State of Punjab, has equal rights over the waters of Ravi-Beas rivers, and Punjab State cannot claim exclusive rights over these waters. River waters are, in any case, a national asset and their use cannot be restricted to the boundaries of any particular State. Such waters must be distributed in an equitable manner among the basin States.

After affording due opportunity of being heard to both States, the Central Government in exercise of the powers conferred by section 78 (1) of the Punjab Re-organisation Act, 1966, had determined their shares as follows on 24-3-1976 :

"Taking note of the facts that Haryana has large arid tract and also several drought prone areas and the present development of irrigation in the State of Haryana is substantially less as compared to that in the State of Punjab, and further taking into consideration that comparatively large quanitity of water is needed for irrigation in the State of Haryana and there is limited availability of

water from other sources in the State, the Central Government hereby directs that out of the water which would have become available to the erstwhile State of Punjab on completion of the Beas Project (0.12 MAF whereof is earmarked for Delhi Water supply), the State of Haryana will get 3.5 MAF and the State of Punjab will get remaining quantity not exceeding 3.5 MAF when further conservation works on the Ravi are completed..."

This decision which was based on an availability of 15.85 MAF ought to have been implemented in toto and any subsequent agreement or adjudication was not called for as these have done injustice to the cause of Haryana. Since the total availability of waters is now higher, any additional waters above 15.85 MAF should also come to the share of Haryana. This House earnestly urges the Government of India to take all steps to get this decision dated 24-3-1976 implemented in letter and spirit.

Satluj Yamuna Link Canal is lifeline for the State and people of Haryana and it should have been completed years ago. It is unfortunate that work on this Project stopped in the year 1990 and has not been resumed so far resulting in incalculable national loss as well as direct loss to the people of Haryana. This House resolves that Government of India may get the remaining portion of SYL Canal completed immediately by entrusting it to a Central Agency and the canal be got commissioned within a period of six months on war footing.

श्री ओम प्रकाश चौटला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी का विषय है कि हरियाणा प्रदेश के हितों के रक्षार्थ सदन के नेता ने जो रैजोल्यूशन मूव किया है। हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों के पास जब यह अच्छा मैसेज जायेगा और वे सुनेंगे कि सभी पार्टियों ने हरियाणा के हितों के रक्षार्थ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मामलें में इक्ट्ठे हैं। मैं इसके लिए जहां सदन के नेता का आभार व्यक्त करूंगा वहां सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि जो बात पिछली सरकार के वक्त में सिरे नहीं चढ़ पाई थी वह अब सिरे चढ़ गई है।

श्री बंसीलाल : मेरी चौटाला साहब से प्रार्थना है कि पिछली सरकार या नई सरकार का कोई जिक्र न करें और इसको पास होने दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं सीधे तौर से अपनी पार्टी की तरफ से इस रैजोल्यूशन का समर्थन ही नहीं करता बल्कि इसके लिए सदन के नेता का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री बंसीलाल : धन्यवाद।

श्री भजनलाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मसला है और आप जानते हैं कि पंजाब विधान सभा में भी राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र किया गया कि एस०वाई०एल० नहर का पानी का कोई हिस्सा हरियाणा को नहीं दिया जायेगा। इस बात को लेकर एक रैजोल्यूशन हरियाणा असैंबली में भी उठा और इस मामले में मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना और यह प्रस्ताव लेकर आये। इसको सर्वसम्मति से पास करके भारत सरकार को भेजा जाये क्योंकि हरियाणा के साथ बहुत ही खिलवाड़ हुआ है, ज्यादती हुई है और अन्याय हुआ है। आप जानते हैं कि चण्डीगढ़ का मसला हो या यूनियन टैरीटेरी का मसला हो पानी हरियाणा की जीवन रेखा है इस के

[श्री भजन लाल]

लिए बड़े भारी सहयोग की जरूरत है। इसके लिए पहले भी प्रयास होते रहे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम अपने हाथों से इस नहर की आधारशिला रखी लेकिन पंजाब के इलाके में यह नहर पूरी न हो सकी। इस प्रस्ताव के जरिए भारत सरकार को हम यह कहेंगे कि इस नहर को बनाने का काम भारत सरकार अपने कंट्रोल में ले और 6 महीने के अंदर-अंदर इस नहर को बनाए तथा चण्डीगढ़ हरियाणा से तब जाए जब हरियाणा को इसके बदले में अबोहर व फाजिल्का के हिन्दी स्पीकिंग एरियाज़ मिलें। यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। इसलिए इसको सर्वसम्मती से पास किया जाए। (थंपिंग)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : स्पीकर सर, आज हरियाणा के लोगों को इस बात की बहुत प्रसन्नता होगी कि हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए यह महान सदन अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर के एक मंच पर इक्ट्ठा हुआ है। इस सदन के नेता चौधरी बंसी लाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका यह सदन पूरे हृदय से समर्थन करता है। मैं विपक्ष के सम्मानित नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी व उनकी पार्टी के सभी विधायक साथियों का, कांग्रेस विधायक दल के नेता चौधरी भजन लाल जी व उनके विधायक साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं तथा धन्यबाद देता हूं कि आज उन्होंने एक नई परम्परा डाली है और राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। निर्दलीय विधायक श्री अनिल विज जी और श्री कैलाश चन्द्र शर्मा जी, तो हमारी सरकार के पक्ष के ही आदमी हैं। मैं इनका भी बहुत धन्यवादी हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम चौधरी बंसी लाल जी की रहनुमाई में हरियाणा की पानी की लड़ाई और टैरीटरी के मामले में कामयाब होंगे। मैं इसके लिए एक बार फिर सदन को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। (थंपिंग)

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन हरियाणा की पौने दो करोड़ की आबादी को भी यह आह्वान करता है कि हरियाणा के हितों कि रक्षा के लिए जिस प्रकार से सभी राजनैतिक दल और राजनेता अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इक्ट्ठे हुए हैं, हरियाणा के लोग भी इसी तरह से एकजुट होकर के हरियाणा के हितों की रक्षा करेंगे । (थंपिंग)

मुख्यमंत्री (श्री बंसीलाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पार्टी के सम्मानित नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी भजनलाल, चौधरी बीरेन्द्र सिंह व उनके साथियों, श्री राम बिलास जी, निर्दलीय विधायक श्री अनिल विज और श्री कैलाश चन्द्र शर्मा जी तथा सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। अंत में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करवाया जाए।

Mr. Speaker : Question is —

It is unfortunate that the Hon'ble Governor, Punjab, in his address to the Punjab Vidhan Sabha on 5-3-1997, while referring to inter-State matters has stated as follows:-

"My Government demands the immediate transfer of Chandigarh to Punjab. It also demands the inclusion into Punjab of the Punjabi speaking areas left out of the State, settlement of Punjab's claims on river waters on the basis of Riparian principle."

The Members of the Haryana Vibhan Sabha strongly feel that unfair and unjust treatment was in fact meted out to the State and the people of Haryana in

the matter of sharing of territory and water after the re-organization of the erst-while State of Punjab. The Punjab Boundary Commission headed by Justice J.C.Shah, in his Award dated 31-5-1966 had recommended that :-

"(1) (i) The districts Simla, Kulu, Kangra, Lahaul-spiti;

(ii) Development Blocks Gagret Amb and Una (excluding the villages Kherabagh Sampur, Bhabhaur and Kalesh and village Kosri fromTehsil Una (Distt. Hoshiarpur);

(iii) Tehsil Nalagarh (Distt. Ambala); and

(iv) Enclaves Dalhousie,Balun and Bukloh in Chamba District which are hill areas and have cultural affinity with the people of Himachal Pradesh should be merged with Himachal Pradesh.

(2) That District Gurdaspur (excluding Dalhousie, Balun and Bukloh), Amritsar, Kapurthala, Jullunder, Ferozepur, Bhatinda, Patiala, Ludhiana and Tehsils Barnala, Malerkotla and Sangrur (Distt. Sangrur), Tehsil Rupar (Distt. Ambala), Tehsils Dasuya, Hoshiarpur and Garshankar and Development blocks Anandpur, Nurpur Bedi and villages Kherabagh, Samipur, Bhabhaur and Kalesh from Una block and village Kosri in Una Tehsil will from the Punjabi-speaking State ; and

(3) That District Hissar, Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak and Karnal and Tehsils Narwana and Jind (District Sangrur) and Tehsil Kharar (including Chandigarh Capital Project), Naraingarh, Ambala and Jagadhari will form the Hindi- speaking State.

Adjustments of the boundaries of the three States should be made on the division of territory as set out."

As a matter of general policy Government of India had been accepting the reports of the Boundary Coommissions in toto. But a departure was made in this case and fair and just recommendations of the Shah Commission based on principle of equity were arbitrarily over-ruled and the Kharar Tehsil including the Chandigarh Capital Project was not given to Haryana. The members of the Haryana Vidhan Sabha unanimously resolve that the long standing injustice to the State and the people of Haryana should be set right by Government of India forthwith and the recommendations of the Shah Commission should be implemented in toto by them.

In sharing of water even greater injustice has been done to Haryana. On principle of equity Haryana should have received a predominant share of the surplus waters of Ravi-Beas rivers considering the much lower intensity and area under irrigation in the State as compared to Punjab. The Riparian principle which finds mention in the address of the Governor of Punjab to the Punjab Vidhan Sabha is not relevant in the present context. Haryana being a successor State of erstwhile State of Punjab, has equal rights over the waters of Ravi-Beas

[Mr. Speaker]
rivers and Punjab State cannot claim exclusive rights over these waters. River waters are in any case, a national asset and their use cannot be restricted to the boundaries of any particular State. Such waters must be distributed in an equitable manner among the basin States.

After affording due opportunity of being heard to both States, the Central Government in exercise of the powers conferred by section 78 (1) of the Punjab Re-organisation Act, 1966, had determined their shares as follows 24-3-1976 :

"Taking note of the facts that Haryana has large arid tract and also several drought prone areas and the present development of irrigation in the State of Haryana is substantially less as compared to that in the State of Punjab, and further taking into consideration that comparatively large quanity of water is needed for irrigation in the State of Haryana and there is limited availability of water from other sources in the State, the Central Government hereby directs that out of the water which would have become available to the erstwhile State of Punjab on completion of the Beas Project (0.12 MAF whereof is earmarked for Delhi Water supply), the State of Haryana will get 3.5 MAF and the State of Punjab will get remaining quantity not exceeding 3.5 MAF when further conservation works on the Ravi are completed..."

This decision which was based on an availability of 15.85 MAF ought to have been implemented in toto and any subsequent agreement or adjudication was not called for as these have done injustice to the cause of Haryana. Since the total availability of waters is now higher, any additional waters above 15.85 MAF should also come to the share of Haryana. This House earnestly urges the Government of India to take all steps to get this decision dated 24-3-1976 implemented in letter and spirit.

Satluj Yamuna Link Canal is lifeline for the State and people of Haryana and it should have been completed years ago. It is unfortunate that work on this Project stopped in the year 1990 and has not been resumed so far resulting in incalculable national loss as well as direct loss to the people of Haryana. This House resolves that Government of India may get the remaining portion of SYL Canal completed immediately by entrusting it to a Central Agency and the canal be got commissioned within a period of six months on war footing.

The Motion was carried unanimously

Mr. Speaker : Is it the sense of the House to adjourn the House now.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 9.30 A.M. tomorrow,

*13.20 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, 14th March, 1997.)

28807—H.V.S.—H.G.P., Chd.